



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022020-215942
CG-DL-E-06022020-215942

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2020/माघ 11, 1941

No. 43]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2020/MAGHA 11, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

सं. एल-1/253/2019/केविआ.-केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 में प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय – I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (क) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 है।
- (ख) ये विनियम राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन :

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से या विषय-वस्तु से, अन्यथा अपेक्षित न हो:-
- (क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
- (ख) 'आवेदक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने इन विनियमों के अनुसार व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग को आवेदन किया है;
- (ग) 'सहयुक्त' से यथास्थिति, आवेदनकर्ता या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (6) तथा उपधारा (76) में यथापरिभाषित, सहयुक्त कंपनी या संबंधित पक्षकार अभिप्रेत है;

- (घ) 'बैंक टू बैंक संविदा' से विद्युत में अन्तरराज्यिक संव्यवहारों के लिए ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसमें व्यापार अनुज्ञप्तिधारी एक पक्षकार से विशेष अवधि के लिए विद्युत की विनिर्दिष्ट मात्रा का क्रय करता है और साथ ही साथ निबंधन व शर्तों पर दूसरे पक्षकार को विक्रय करता है और इसमें ऐसी संविदाएं भी शामिल होंगी जहां पक्षकार विशेष रूप से सहमत होते हैं कि संविदाएं, बैंक टू बैंक संविदाएं हैं;
- (ङ) 'विद्युत की बैंकिंग' से अभिप्राय एवं प्रत्यक्षतः या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से दोनों ग्रीड संबद्ध इकाइयों के बीच विद्युत की अंतर-राज्यिक विनियम के लिए संव्यवहार अभिप्रेत है तथा शामिल होंगे;
- (च) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (छ) 'कारबार संचालन विनियम' से समय-समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 1999, अभिप्रेत है और इसमें इसकी कोई कानूनी अधिनियमिति भी सम्मिलित है ;
- (ज) 'विद्युत का क्रॉस बार्डर व्यापार' से समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का क्रॉस बार्डर व्यापार) विनियम, 2019 में यथापरिभाषित विद्युत का व्यापार अभिप्रेत है;
- (झ) 'चालू अनुपात' से चालू आस्तियों तथा चालू देयताओं के बीच अनुपात अभिप्रेत है जहां:
- (i) चालू आस्तियों में सहयुक्त कंपनी में और पूर्वदत्त व्ययों में किये गये निवेश को छोड़कर नकदी या धन के बराबर नकदी, प्राप्य लेखा माल सूची चालू निवेश शामिल हैं, और
- (ii) चालू देयताओं में एक वर्ष की अवधि के अन्दर निर्माचित किये जाने वाले 'अन्य लेनदार' और अन्य देयताएं शामिल हैं;
- (ञ) 'आर्थिक अपराध' से आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 (1974 का 12) की अनुसूची में सूचीबद्ध सूचियों के अधीन अपराध अभिप्रेत है;
- (ट) 'विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी' से ऐसा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है जिसे समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्तिधारी प्रदान करने के लिए कार्यविधि, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2004 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कार्यविधि, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के उपबंध के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो तथा जिसके पास इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख की अनुज्ञप्ति है;
- (ठ) 'कपट' का वही अर्थ है जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 17 या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 447 में है;
- (ड) 'ग्रीड कोड' से समय-समय पर, यथासंशोधित अधिनियम की धारा 79 की उपधारा 1 के खण्ड (ज) के अधीन आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ग्रीड कोड या उसकी कोई सांविधिक पुनर्अधिनियमिति अभिप्रेत है;
- (ढ) 'अंतर-राज्यिक व्यापार' से एक राज्य से दूसरे राज्य में पुनर्बिक्री के लिए विद्युत का क्रय अभिप्रेत है;
- (ण) 'अंतःराज्यिक व्यापार' से उसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर पुनर्बिक्री के लिए विद्युत का क्रय अभिप्रेत है;
- (त) 'तरलता अनुपात' से, तरल आस्तियों और चालू आस्तियों के बीच अनुपात अभिप्रेत है जहां :
- (i) तरल आस्तियों में चालू आस्तियों कम माल सूची कम पूर्वदत्त व्ययों शामिल होंगे, और
- (ii) चालू देयताओं में एक वर्ष की अवधि के अन्दर डिस्चार्ज होने वाले सन्झी क्रेडिटर्स उपबंध और अन्य देयताएं शामिल होंगी।
- (थ) 'शुद्ध धन(नेटवर्थ)' से संचित हानियों के कुल मूल्य, बट्टे खाते न डाले गए अस्थगित व्यय (विविध व्यय को शामिल करते हुए) और सहयुक्त में किए गए निवेश और ऋण में अग्रिम द्वारा कम करते हुए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और अनिवार्य समपरिवर्तनीय वरीयता

शेयरों (पुनर्मूल्यांकन एवं अवक्षयण के राइट बैक से सृजित रिजर्व को छोड़कर) का कुल मूल्य अभिप्रेत है।

- (द) 'अन्य कारबार' से विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के कारबार के सिवाय अनुज्ञप्तिधारी का कोई कारबार अभिप्रेत है;
- (ध) 'पावर मार्केट विनियम' से, समय-समय पर यथासंशोधित या उसके किसी पुनर्अधिनियमित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2010 अभिप्रेत हैं;
- (न) कंपनी के संबंध में 'संप्रवर्तक' से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (69) में यथापरिभाषित संप्रवर्तक अभिप्रेत है;
- (प) 'व्यापार' का वही अर्थ होगा जो से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2(71) में है;
- (फ) 'व्यापार अनुज्ञप्तिधारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिस अधिनियम की धारा 14 के अधीन विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी हो:

परंतु यह कि यदि कोई व्यापार अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा प्रदत्त अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति के आधार पर अंतःराज्यिक व्यापार करता है तो ऐसे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए इन विनियमों के अधीन विनियमित किया जाएगा जो इसके अतिरिक्त होगा और संबंधित राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अंतः-राज्यिक व्यापार पर किसी विनियम के अपकर्ष से नहीं होगा;

- (ब) 'वर्ष' से किसी कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली और आगामी कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली 12 महीनों की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) यथापूर्वोक्त के सिवाय और जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु के विरुद्ध अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम या ग्रीड कोड में है।
- (3) समय-समय पर यथासंशोधित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन के लिए लागू होंगे जैसा कि वे संसद के अधिनियम की निर्वचन के लिए लागू होते हैं।

अध्याय – II

अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हताएं

3. आवेदक की अर्हताएं

(1) सामान्य अर्हताएं

आवेदक भारत का नागरिक या भारतीय साझेदार अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन पंजीकृत साझेदारी फर्म या कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन समाविष्ट कंपनी या व्यक्ति संगम या निकाय, जो भारत का नागरिक है चाहे सम्मिलित है या नहीं भले ही भारतीय विधि के अधीन मान्यता प्राप्त कृत्रिम विधिक व्यक्ति हैं:

परंतु यह कि आवेदक को एसोसिएशन के ज्ञापन (कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अधीन समाविष्ट कंपनी के मामले में) मुख्य उद्देश्यों के अनुसार विद्युत में व्यापार करने के लिए या साझेदारी विलेख (भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड साझेदार के मामले में) यह लिमिटेड देयता साझेदार अधिनियम, 2008 के सांविधिक दस्तावेजों के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

(2) तकनीकी अर्हताएं

आवेदक का कम से कम एक पूर्णकालिक व्यवसाय होगा जिसका निम्नलिखित श्रेणी में अर्हता और अनुभव होगा, अर्थात्—

क्र.स.	श्रेणी	अर्हताएं और अनुभव
(क)	ऊर्जा प्रणाली प्रचालन या विद्युत व्यापार या ऊर्जा जोखिम प्रबंधन	क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव सहित इंजीनियरिंग में डिग्री
(ख)	वित्त, वाणिज्य एवं लेखा	क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव सहित सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए (वित्त)

(3) वित्तीय अर्हताएं – पूंजी पर्याप्तता और तरलता अपेक्षाएं

(क) अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के आधार पर आवेदक द्वारा लिये जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्यिक और अंतःराज्यिक व्यापार की मात्रा पर विचार करते हुए आवेदन के साथ लेखा परीक्षित विशेष तुलन पत्र के अनुसार आवेदन की तारीख को आवेदक के न्यूनतम शुद्ध धन नीचे दी गयी विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी :

क्र.स.	व्यापार अनुज्ञप्तिधारी की श्रेणी	न्यूनतम शुद्ध धन(नेटवर्थ) (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यापार की जाने वाली प्रस्तावित विद्युत की मात्रा
1.	श्रेणी I	50.00	7,000 एमयू से अधिक
2.	श्रेणी II	35.00	7,000 एमयू से अधिक नहीं
3.	श्रेणी III	20.00	4,000 एमयू से अधिक नहीं
4.	श्रेणी IV	10.00	2,000 एमयू से अधिक नहीं
5.	श्रेणी V	2.00	500 एमयू से अधिक नहीं

परंतु यह कि श्रेणी I व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के लिए यदि व्यापार की जाने वाले प्रस्तावित विद्युत की मात्रा 10,000 एमयू से अधिक है तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक समय 75 करोड़ रुपयों की शुद्ध धन(नेटवर्थ) बनाए रखेगा।

परंतु यह कि व्यापार की गयी विद्युत की मात्रा में दीर्घकालिक और अल्पकालिक संविदाओं के अधीन अंतरराज्यिक और अंतःराज्यिक संव्यवहार शामिल होंगे जिसमें पावर एक्सचेंज बैंकिंग और क्रास बार्डर व्यापार के माध्यम से किए गए संव्यवहार भी शामिल होंगे।

(ख) आवेदक का उक्त खण्ड (क) के अनुसार शुद्ध धन(नेटवर्थ) होगा और 1:1 का निम्नतम अनुपात होगा तथा 1:1 का निम्नतम तरलता अनुपात होगा।

परंतु यह कि विनियम में विनिर्दिष्ट शुद्ध मालियत चालू अनुपात और तरलता अनुपात कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार की गयी लेखा परीक्षित विशेष तुलन पत्र के आधार पर संगणित की जाएगी।

4. निरर्हताएं : आवेदन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हक नहीं होगा यदि :

- (1) आवेदक, या उसका कोई भी सहयुक्त, या साझेदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक अनुन्मोचित दिवालिया घोषित किया गया हो; या
- (2) आवेदक विद्युत के पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति रखता है; या
- (3) आवेदक या उसका कोई सहयुक्त या साझेदार या संप्रवर्तक या निदेशक उस वर्ष के तुरंत पूर्व किसी 3 वर्षों के दौरान जिसमें आवेदन किया जा रहा है, किसी प्रकार के अनैतिक धोखाधड़ी या आर्थिक अपराध से दोषी सिद्ध पाया गया है; या
- (4) आवेदक या उसके किसी सहयुक्त या साझेदार या संप्रवर्तक या निदेशक की अनुज्ञप्ति के वर्ष के दौरान पूर्व के 3 वर्षों के दौरान जिसमें आवेदन किया जा रहा है, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा में उल्लिखित कारणों के लिए आयोग द्वारा पुनः निरस्त किया गया; या
- (5) आवेदक या उसका कोई सहयुक्त या साझेदार या संप्रवर्तक या निदेशक अधिनियम या नियम या विनियम के किसी उपबंधों के गैर अनुपालन के लिए किसी कार्यवाही में दोषी पाया गया है या वर्ष के पूर्व तत्काल के किन्ही तीन वर्षों के दौरान आयोग द्वारा आदेश किया है जिसमें आवेदन किया जा रहा है:

परंतु यह कि आवेदन की तारीख या उसके बाद यदि अधिनियम या नियम या विनियमों के किसी उपबंध के गैर अनुपालन के लिए कोई कार्यवाही की गयी है या आयोग के आदेश के अनुपालन के लिए आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तो कार्यवाहियों के अंतिम निपटान के बाद विचार किया जाएगा।

परंतु यह कि जहां आवेदक कार्यवाहियों में गैर अनुपालन का दोषी पाया जाता है तो इस धारा के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा।

अध्याय – III
अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया

5. **आयोग के समक्ष कार्यवाहियां**
इन विनियमों के अधीन सभी कार्यवाहियां कारबार संचालन विनियमों के अधीन शासित होंगी।
6. **अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया**
- (1) विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार आरंभ का इच्छुक कोई व्यक्ति इन विनियमों से उपाबद्ध प्रारूप-I में विनिर्दिष्ट रीति से अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा तथा ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा, अर्थात्:-
- (क) समय-समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट इस प्रकार के आवेदन फीस यथा संशोधित या उसके किसी आवेदन के पूर्व विनियमों के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का भुगतान) विनियम, 2012 में यथा विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार अदा की जाएगी।
- (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समामेलित व्यक्तियों की दशा में वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां तथा निदेशक रिपोर्ट, संपरीक्षा रिपोर्ट, अनुसूचियों के साथ संपरीक्षित लेखे तथा उस वर्ष, जिसमें आवेदन किया गया है, के ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों के लेखाओं का टिप्पण तथा आवेदन करने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तीस दिनों के भीतर आने वाली किसी तारीख के विशेष तुलनपत्र।
- (2) आवेदक अपनी स्वयं की वेबसाइट पर पूर्ण आवेदन को, उपाबंधों और संलग्नकों के साथ पोस्ट करेगा जिससे कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से आवेदन तक पहुंच सके तथा अपने आवेदन के लिए निपटाए जाने तक वेबसाइट पर रखेगा।
- (3) आवेदक ऐसा आवेदन करने के पश्चात् 7 दिन के भीतर प्ररूप 2 में दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिसे दिल्ली में प्रकाशित करने के अतिरिक्त पांच प्रदेशों में प्रकाशित किया जाता हो, जिसमें एक इकनोमिक्स दैनिक समाचारपत्रों भी सम्मिलित हैं, अपने आवेदन की निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ सूचना प्रकाशित करेगा, अर्थात्:
- (क) शीर्ष में आवेदन कर्ता का नाम (बड़े शब्दों में) जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया गया हो कि आवेदक एक वैयक्तिक/एकमात्र प्रोपराइटर है एक एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय है, भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म है, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन या कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन समाविष्ट यह प्राईवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड देयता साझेदार अधिनियम, 2008 के अधीन एक लिमिटेड देयता साझेदार है जिसमें इसका रजिस्टर्ड कार्यालय का पूरा विवरण और पत्राचार का पता दिया गया है;
- (ख) एक विवरण कि आवेदक ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अधिनियम की धारा 15 के उपबंध (1) के अधीन श्रेणी I या श्रेणी II या श्रेणी III या श्रेणी IV या श्रेणी V जैसी भी स्थिति हो, के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन किया है;
- (ग) शेयर पूंजी (लाख रुपये में)
- (i) प्राधिकृत :
- (ii) पुराधृत :

- (iii) अभिदत्त :
- (iv) प्रदत्त :
- (घ) आवेदक की शेयर होल्डिंग पैटर्न (5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरों की होल्डिंग के शेयर होल्डरों की सूची, प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या और कुल प्रदत्त पूंजी के शेयरों की प्रतिशतता की सूची)
- (ङ) आवेदक की वित्तीय एवं तकनीकी सामर्थ्य;
- (च) वर्ष के दौरान व्यापार की जाने वाली विद्युत की मात्रा;
- (छ) आवेदक का प्रबंधन प्रोफाइल जिसमें इसी प्रकार के या वैसे ही क्रियाकलाप में आवेदक या व्यक्तियों के उसमें प्रबंधक में पिछले अनुभव के ब्यौरे;
- (ज) वह भौगोलिक क्षेत्र, जिसके भीतर आवेदक विद्युत में व्यापार आरंभ करेगा;
- (झ) आवेदन सहित लेखा परीक्षित विशेष तुलन पत्र की तारीख को या तारीख के अनुसार आवेदक की शुद्ध धन(नेटवर्थ), चालू अनुपात और तरलता अनुपात;
- (ञ) इस आशय का विवरण कि आवेदक या उनके किसी सहयुक्त या साझेदार या प्रवर्तक या निदेशक को दिवालिया घोषित किया गया है और यदि ऐसा है तो उसके बाद के ब्यौरे, और यदि ऐसा नहीं है तो क्या उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया।;
- (ट) आवेदन करने के वर्ष या उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक के नैतिक अधमता, या कपट या आर्थिक अपराध की दोषसिद्धि पर रहने के ब्यौरे देने वाला एक विवरण तथा ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कारावास, यदि कोई हो, से उक्त व्यक्ति की रिलीज की तारीख;
- (ठ) एक ऐसा विवरण कि क्या आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक को कभी अनुज्ञप्ति देने के लिए इंकार किया था और यदि हां, तो आवेदन का विवरण, आवेदन करने की तारीख, अनुज्ञप्ति को इंकार करने के आदेश की तारीख तथा ऐसे इंकार करने के कारणों का विवरण दें;
- (ड) एक विवरण कि आवेदक के पास विद्युत के पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति है, यदि हां, तो उसके ब्यौरे ;
- (ढ) ऐसा विवरण कि आयोग ने आवेदक, या उसके सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया है और यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे ;
- (ण) ऐसा विवरण कि आयोग ने आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदारी, या संप्रवर्तक, या निदेशक अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंधों या उपयुक्त आयोग द्वारा किए गए आदेश के अननुपालन के लिए दोषी पाए गए हैं यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे ;
- (त) इस आशय का विवरण कि आयोग के समक्ष फाइल किए गए आवेदन या अन्य दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए आवेदक के पास उपलब्ध हैं;

- (थ) आवेदक के नियंत्रण के अधीन व्यक्तियों के नाम और पद और अन्य संगत ब्यौरे जिससे आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है;
- (द) उस वेबसाइट का पता जहां आवेदन उपाबंधों, संलग्नकों के साथ डाला गया है;
- (ध) ऐसा विवरण कि आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, सूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर आवेदक को आपत्तियों या सुझाव की प्रति सहित सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरी मंजिल, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 के समक्ष फाइल किए जा सकेंगे।
- (न) शपथ पत्र पर विवरण, यदि आवेदक के पास कोई अंतः-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति है और उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन अनुमत व्यापार की मात्रा के (मिलियन यूनिट में) ब्यौरे।
- (4) आवेदक, यथापूर्वोक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से सात दिन के भीतर, आयोग को प्रकाशित सूचना के ब्यौरों को शपथपत्र पर प्रस्तुत करेगा और उन समाचारपत्रों की मूल संपूर्ण पृष्ठ भी फाइल करेगा जिनमें सूचना प्रकाशित हुई है।
- (5) आवेदक को समाचार पत्रों में प्रकाशित आवेदन के नोटिस में आपत्तियों या सुझावों को दाखिल करने के लिए पब्लिक को 30 दिन की अवधि की अनुमति दी जाएगी।
- (6) आवेदक पब्लिक से आपत्तियों या सुझावों की अंतिम तारीख से 30 दिन के अंदर आयोग के समक्ष अपना उत्तर दाखिल करेगा।
- (7) आयोग, आवेदक द्वारा प्रकाशित नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों तथा इसके उत्तर पर विचार करने के बाद आवेदन को रद्द कर सकता है या अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव कर सकता है।
- (8) जब आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव करता है तो इसे दो सामाचार पत्रों में इसके प्रस्ताव का नोटिस प्रकाशित करेगा जैसा आयोग उपयुक्त समझता है वह उस व्यक्ति का नाम और पता वर्णित करेगा जिसे अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया गया है और ऐसे अन्य ब्यौरे जिसे आयोग प्रस्ताव के लिए आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए उपयुक्त समझता है।
- (9) प्राप्त आपत्तियों या सुझावों तथा उस पर आवेदक का उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए, आयोग अनुज्ञप्ति प्रदत्त कर सकेगा या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा यदि आवेदन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुरूप न हो। बशर्ते यह कि कोई आवेदन तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।
- (10) जहां तक व्यवहार्य हो, इन विनियमों से उपाबद्ध प्रारूप III में विहित प्रारूप के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदत्त की जाएगी।

अध्याय-IV व्यापार मार्जिन

7. व्यापार मार्जिन की प्रयोज्यता

व्यापार मार्जिन, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये निम्नलिखित संव्यवहारों के लिए लागू होगा:

- (क) अल्पकालिक संविदाओं के अधीन संव्यवहारों (जहां क्रेता और विक्रेता दोनों के साथ व्यापार अनुज्ञप्ति संविदा की अवधि पावर एक्सचेंजों के माध्यम से किये गये संव्यवहारों सहित एक वर्ष तक है)□
- (ख) दीर्घकालिक संविदा के अधीन संव्यवहार (जहां विक्रेता या क्रेता या दोनों के साथ व्यापार अनुज्ञप्ति के संविदा की अवधि एक वर्ष से अधिक है)
- (ग) संविदा की अवधि का ध्यान किये बिना विद्युत की बैंकिंग
- (घ) संविदा की अवधि का ध्यान किये बिना बैंक टू बैंक संविदा के अधीन संव्यवहार
- (ङ) विद्युत का क्रॉस बार्डर व्यापार

8. व्यापार मार्जिन :

- (1) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित व्यापार मार्जिनों का अनुपालन करेगा:
(क) व्यापार मार्जिन विद्युत की शेड्युल्ड मात्रा पर प्रभारित होगा ;

- (ख) व्यापार मार्जिन में अनुसूचित ऊर्जा, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानियों के लिए प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार शामिल होंगे:
परंतु यह कि निर्बाध पहुंच के लिए प्रभारों में पारेषण प्रभार, प्रचालन प्रभार और आवेदन फीस शामिल होंगे;
- (ग) पावर एक्सचेंजों के माध्यम से अल्पकालिक संविदा के अधीन संव्यवहारों के लिए व्यापार अनुज्ञप्तिधारी शून्य (0.0) पैसे/किलोवाट घंटा से कम और सात (7.0) पैसे /किलोवाट घंटा से अधिक नहीं, व्यापार मार्जिन प्रभारित करेगा:
परंतु यह कि उन संविदाओं में जहां विनियम 9 के खण्ड (10) में यथा विनिर्दिष्ट एस्करो व्यवस्था या अप्रतिसंहरणीय, बिना शर्त और रिवाल्विंग साख पत्र विक्रेता के पक्ष में व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गयी है वहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी दो (2.0) पैसे/किलोवाट घंटा से अधिक व्यापार मार्जिन प्रभारित नहीं करेगा।
- (घ) दीर्घकालिक संविदाओं के अधीन संव्यवहारों के लिए व्यापार मार्जिन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी और विक्रेता के बीच पारस्परिक रूप में निर्णीत किया जाएगा:
परंतु यह कि उन संविदाओं में, जहां विनियम 9 के खण्ड (10) में यथा विनिर्दिष्ट एस्करो व्यवस्था, अप्रतिसंहरणीय, बिना शर्त और रिवाल्विंग साख पत्र विक्रेता के पक्ष में व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गयी है वहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी दो (2.0) पैसे/किलोवाट घंटा से अधिक व्यापार मार्जिन प्रभारित नहीं करेगा।
- (ङ) विद्युत की बैंकिंग के लिए, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, संचयी व्यापार मार्जिन, जो कि शून्य (0.00) पैसे/किलोवाट घंटा से कम नहीं एवं सात (7.0) पैसे/किलोवाट घंटा से अधिक नहीं हो, प्रभारित करेगा।
- (च) बैंक टू बैंक संविदा के अधीन संव्यवहारों के लिए, जहां विनियम 9 के खण्ड (10) में यथा विनिर्दिष्ट एस्करो व्यवस्था अप्रतिसंहरणीय बिना शर्त और रिवाल्विंग साख पत्र विक्रेता के पक्ष में व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गयी है, वहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी दो (2.0) पैसे/किलोवाट घंटा से अधिक व्यापार मार्जिन प्रभारित नहीं करेगा।
- (छ) विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार के लिए व्यापार मार्जिन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी और विक्रेता के बीच परस्पर रूप से निर्णीत किया जाएगा।
- (2) इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट व्यापार मार्जिन उत्पादक और अंततोगत्वा क्रेता के मध्य संव्यवहारों की श्रृंखला में शामिल सभी व्यापारियों द्वारा प्रभारित व्यापार मार्जिन एक संचयी मूल्य होगा जिसका अर्थ है कि व्यापारी दर व्यापारी के माध्यम से व्यापार मार्जिन और इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट व्यापार मार्जिन की उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

अध्याय—V

अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तें

9. व्यापार अनुज्ञप्ति की बाध्यताएं

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित बाध्यताओं के अधीन होगा:

- (1) अनुज्ञप्तिधारी प्रवृत्त विधि में, और विशेष रूप से, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों की अपेक्षाओं, ग्रीड कोड, विधि के अनुसार आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों और निदेशों का पालन करेगा।

- (2) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी सदैव इन विनियमों के विनियम 3 के अनुसार शुद्ध धन(नेटवर्थ) को बनाए रखेगा और व्यापार अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में 1:1 का चालू अनुपात और 1:1 का तरलता अनुपात को बनाए रखेगा।

परंतु यह कि यदि वित्तीय वर्ष के अंत में चालू अनुपात या तरलता अनुपात 1:1 से कम होता है, तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को व्यापार अनुज्ञप्ति की संबंधित श्रेणी के लिए नियत शुद्ध धन(नेटवर्थ) के 100 प्रतिशत की अतिरिक्त शुद्ध धन(नेटवर्थ) को बनाए रखेगा

- (3) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की गयी अनुज्ञप्ति के अधीन वर्ष के दौरान प्राधिकृत व्यापार की मात्रा के किसी भी समय 110 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (4) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार इन विनियमों की शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य से कमतर या निचली श्रेणी में इसकी अनुज्ञप्ति के निम्न या उच्चतर श्रेणी में अनुज्ञप्ति के उन्नयन के लिए निर्धारित फीस सहित उचित आवेदन करेगा।
- (5) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी समय समय पर आयोग द्वारा निर्धारित व्यापार मार्जिन से अधिक कोई राशि प्रभारित नहीं करेगा:

परंतु यह कि जहां इन विनियमों या अन्यथा के विनियम 10 के खण्ड (3) के अनुसार किया गए वैधानिक लेखा परीक्षा के आधार पर स्थापित किया जाता है कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ने इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक व्यापार मार्जिन प्रभारित किया है तो आयोग सुनवाई का उचित अवसर व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को देने के पश्चात आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर विक्रेता/क्रेता को वापस ब्याज सहित अधिक मार्जिन के वापस करने का निर्देश दे सकता है, आयोग सुनवाई का अवसर देने के बाद व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर सकता है।

- (6) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के सम्पूर्ण अवधि में इन विनियमों के विनियम 3 और 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताओं या अनअर्हताओं द्वारा हमेशा अधिशासित होगा।
- (7) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यापार से पूर्व टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर इंटरनेट सेवाओं जैसी पर्याप्त संचार सुविधाओं को स्थापित करेगा।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी, अपने व्यापार से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में, प्रादेशिक ऊर्जा समितियों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिताओं, राज्य पारेषण उपयोगिताओं प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों, और राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के साथ संबंधित क्रेता तथा विक्रेता द्वारा प्राधिकृत सीमा तक समन्वय कर करेगा।
- (9) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के संबंध में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सभी सहायता प्रदान करेगा।
- (10) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता के पक्ष में एस्करो व्यवस्था, अप्रतिसंहरणीय बिना शर्त और रिवाल्विंग साख पत्र के माध्यम से विद्युत की तय मात्रा की खरीद के लिए विक्रेता को तय देय तारीख तक देयता का भुगतान करेगा। इस प्रकार की विक्रेता के पक्ष में एस्करो व्यवस्था, अप्रतिसंहरणीय, बिना शर्त, रिवाल्विंग साख पत्र निम्नलिखित के समतुल्य होगा:

- (क) दीर्घकालिक संविदा के लिए एक वर्ष की वैधता सहित औसत मासिक बिल राशि का एक प्वाइंट एक (1.1) बार (3 माह के लिए मासिक बिलिंग रकम का अनुमानित औसत या पूर्व 3 माह के लिए वास्तविक मासिक बिलिंग रकम जैसी भी स्थिति हो)
- (ख) अल्पकालिक संविदाओं के लिए संविदा मूल्य का एक प्वाइंट शून्य पांच (1.05) बार।
- (11) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी संव्यवहारों की अनुसूचीकरण से पूर्व विक्रेताओं और क्रेताओं के साथ विद्युत की बिक्री और खरीद के लिए समुचित करार करेगा और करार में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, अर्थात्:
- (क) क्रय या विक्रय की जाने वाले विद्युत की ऊपरी एवं निचली मेघावाट सीमाएं।
- (ख) अनुसूचीकरण के लिए बाध्यताएं
- (ग) इस विनियम के खण्ड 10 में यथापरिभाषित भुगतान सुरक्षा तंत्र
- (घ) अनुसूचित मात्रा को विनिर्दिष्ट करने या इसे संशोधित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति जिसके बाद इससे प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित किया गया है।
- (ङ) क्या क्रेता या विक्रेता समान रूप से अनुसूची मात्रा का संशोधन कर सकते हैं या क्या संशोधन क्रेता या विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकता है।
- (च) पक्षकारों (विक्रेता, क्रेता और व्यापार अनुज्ञप्तिधारी) की देयताएं यदि अनुसूचित मात्रा (एमडब्ल्यू) और अनुसूचीकरण का समय सहमत शर्तों से भिन्न है या अनुसूचीकरण में संशोधन के मामले में और बाद की स्थिति में पक्षकार जो अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रभारों का गैर वापसी योग्य हिस्से का वहन करेगा।
- (12) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को सूचित अनुसूचीकरण में विवाद के लिए कोई संभावना नहीं है और किसी और अनुसूचीकरण सूचना में किसी विसंगति या संदिग्धता के मामले में स्वीकृति या अन्यथा इस प्रकार की सूचना के संबंध में प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र बाध्यकारी होगा।
- (13) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि क्रेता और विक्रेता ग्रिड संबद्ध इकाइयां हैं या अपने क्षेत्र से संबंधित विशेष ऊर्जा मीटर सहित इस प्रकार की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचलन व्यवस्थापन के लिए तंत्र अपने स्थान में उपलब्ध है।
- (14) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी इकाइयों या इस प्रकार की इकाइयों के सहयुक्त इस विद्युत का क्रय नहीं करेगा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम के अनुसार यथानिर्दिष्ट विचलनों के लिए प्रभार के भुगतान में चूक, पारेषण प्रभार, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार एवं संकुलता प्रभार, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों या एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र और संचार योजना या आयोग द्वारा या अधिनियम के अधीन या उसके अधीन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा या राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा उदग्रहित किसी अन्य भुगतान से विद्युत का क्रय नहीं करेगा, जब इसे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- (15) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी समय समय से आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्धारित तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेगा।
- (16) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी व्यापार गतिविधि के लिए लोप या उपेक्षा नहीं करेगा।

- (17) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के क्रय या विक्रय के लिए ऐसा कोई करार नहीं करेगा जिससे उसकी प्रधान स्थिति को दुरुपयोग होता है या किसी ऐसे समुच्चय में प्रवेश नहीं करेगा जिससे विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना हो या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- (18) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी पावर एक्सचेंजों के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी और संव्यवहारों के आधार पर किया गया ओवर द काउंटर अंतर-राज्यिक संव्यवहारों और अंतर-राज्यिक संव्यवहारों, यदि कोई है, के लिए अलग से उसके द्वारा किये गये सभी व्यापार संव्यवहारों के लिए अद्यतन रिकार्ड रखेगा।
- (19) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विधि के अनुसार वाणिज्य के निपटान, उपभोक्ता को विद्युत की बिक्री को हटाने जिसे संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गयी है, के अध्यक्षीन नहीं होगा।
- (20) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी तत्काल लेकिन एक महीने से अधिक नहीं, शुद्ध धन(नेटवर्थ) में किसी परिवर्तन को आयोग को रिपोर्ट करेगा जो इसे उस श्रेणी में जारी रखने के लिए अयोग्य ठहराएगा जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है।
- (21) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी केवल ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति अंतरित या निर्दिष्ट कर सकता है जो आयोग पूर्व अनुमोदन सहित इन विनियमों के विनियम 3 एवं 4 की शर्तों को पूरा करता है:
- परंतु यह कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष उपयुक्त आवेदन करेगा जिसमें उस व्यक्ति के ब्यौरे होंगे जिसे अनुज्ञप्ति अंतरित या समनुदेशित करने का प्रस्ताव है, इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए इसकी पात्रता, और प्रस्तावित अंतरिती या अभिहस्ताकिती शपथ-पत्र है कि अनुज्ञप्ति की सभी निबंधन व शर्तें बाध्यकारी होंगी और उसके अधीन किये गये अधिनियम, नियम और विनियम के उपबंधों तथा आयोग के आदेशों जिन्हें समय समय से जारी किये गये हैं, का अनुपालन करेगा।
- परंतु यह भी कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के अंतरण या समनुदेशन के लिए अपने आवेदन के बारे में एक आर्थिक दैनिक समाचारपत्र सहित दिल्ली से प्रकाशित के अतिरिक्त प्रत्येक पांच क्षेत्रों में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में संक्षेप में प्रकाशित करना अपेक्षित होगा और 30 तीन के अंदर सुझाव या आपत्तियां आमंत्रित करेगा तथा प्रकाशन की तारीख से 45 तीन के अंदर सुझाव या आपत्तियां यदि कोई हैं कि प्रतिक्रिया सहित प्रकाशन की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।
- (22) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अपने किसी एक अधिकारी को अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा जो कि आयोग के साथ पत्र-व्यवहार के लिए नोडल अधिकारी होगा और समय-समय पर यथासंशोधित या उनके किसी अनुवर्ती पुनः अधिनियमन, अधिनियम के उपबंधों और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों और विनियमों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा, विशेषतः केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य संबद्ध मामलों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारिषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारिषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का भुगतान) विनियम, 2012, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2010, केन्द्रीय विद्युत

विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का सीमा पार व्यापार) विनियम, 2019;

- (23) यदि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ने किसी विशेष अवधि के लिए किसी क्रेता के साथ विद्युत की बिक्री के लिए संविदा में प्रवेश किया है, तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी क्रेता इकाई की पूर्व सहमति के बिना उस अवधि के लिए किसी अन्य इकाई के साथ उसी विद्युत की बिक्री के लिए किसी संविदा में प्रवेश नहीं करेगा।
- (24) विद्युत की बैंकिंग करने वाला व्यापार अनुज्ञप्तिधारी साथ-साथ बैंकिंग व्यवस्था में सहभागिता करने वाली प्रत्येक इकाई के साथ विद्युत प्रदाय तथा विद्युत के रिटर्न के लिए यथालागू संविदा करेगा।

10. व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के लेखे एवं विनियामक लेखापरीक्षा

(1) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी -

- (क) किसी अन्य कारबार चाहे अनुज्ञप्त या अन्यथा हो, से पृथक अनुज्ञप्ति में सम्मिलित कारबार का लेखा रखेगा;
- (ख) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लेखाओं के विवरण को बनाए रखेगा;
- (ग) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समरूप आधार पर ऐसे अभिलेख लेखांकन विवरणों को तैयार करेगा जिसमें लाभ और हानि लेखा, तुलनपत्र और स्रोत का विवरण तथा उसके टिप्पणों सहित निधियों का उपयोजन होगा और उसमें ऐसे किसी भी राजस्व, लागत, आस्ति, दायित्व, आरक्षित या प्रावधान की रकम पृथक् रूप से दर्शित करेगा जो:
- किसी अन्य कारबार से या उसको उस प्रभार के आधार के विवरण के साथ प्रभारित की गई हो, या
 - प्रभाजन या आबंटन के आधार पर विवरणों के साथ-साथ विभिन्न कारोबार या क्रियाकलापों के बीच प्रभाजन या आबंटन द्वारा अवधारित की गई हो;
- (घ) पूर्वगामी खंडों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट में तैयार लेखा विवरणों संबंध में, लेखांकन विवरण प्रदान करेगा चाहे उनकी राय में इन विवरणों को उचित रूप से तैयार किया गया है ऐसे कारबार, जिससे संबंधित वे विवरण हैं, से युक्तियुक्त रूप से हुए माने जा सकने वाले राजस्व, लागत, आस्तियां और दायित्व, आरक्षितियों का ठीक और स्पष्ट दृष्टिकोण देगा, और
- (ङ) उस वर्ष, जिससे वे संबंधित हैं, की समाप्ति के पश्चात् नौ मास से अन्यून के लेखांकन विवरणों और संपरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रतियां आयोग को देगा और कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए अपनी वेबसाइट में या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट में उन्हें पोस्ट रखेगा।

(2) आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के लेखाओं का निरीक्षण करने और उन्हें सत्यापित करने का हकदार होगा और व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार की आवश्यक सहायता देगा।

(3) आयोग द्वारा यह सुनिश्चित होने पर कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधन व शर्तों के अनुपालन में असफल हो चुका है, अधिनियम की धारा 128 के अनुसार इस गैर-अनुपालन की जांच

हेतु विनियामक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों तथा/या विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा और इन मामलों में लेखापरीक्षा की लागत का भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा जिसे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी से वसूल किया जाएगा।

11. सूचना प्रस्तुत करना

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी:

- (1) ऐसी जानकारी देगा, जो समय-समय पर आयोग द्वारा मांगी जाए ;
- (2) अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर अंतर-राज्यिक व्यापार, अंतःराज्यिक व्यापार, पावर एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापार, विद्युत की बैंकिंग, अल्पकालिक, दीर्घकालिक व्यापार एवं विद्युत के सीमा-पार व्यापार के संबंध में फॉर्म IV-क, IV-ख, IV-ग, IV-घ, IV-ङ, IV-च, IV-छ एवं IV-ज के माध्यम से मासिक सूचना प्रस्तुत करेगा जो कि आगामी मास के 15वें दिन से पूर्व आयोग तक पहुंच सके;
परंतु य कि आयोग को भेजी गई जानकारी, आगामी मास के 15वें दिन तक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए और वह रिपोर्ट वेबसाइट पर कम से कम पांच वर्षों तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहे;
- (3) फॉर्म IV-झ के अनुसार ओवर द काउन्टर संविदाओं के संबंध में मासिक सूचना आगामी मास के 15वें दिन से पूर्व आयोग को प्रस्तुत करे;
- (4) अंतर-राज्यिक संव्यवहारों के निम्नलिखित विवरण देते हुए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करे:
 - (क) कुल संव्यवहारित मात्रा (एमयू एवं रूपये में) तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन,
 - (ख) अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति (एमयू एवं रूपये में) के आधार पर अंतःराज्यिक संव्यवहारों में कुल संव्यवहारित मात्रा,
 - (ग) पावर एक्सचेंज में कुल संव्यवहारित मात्रा तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन,
 - (घ) संव्यवहारित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की कुल मात्रा,
 - (ङ) फॉर्म IV-ञ के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मई तक सनदी लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित उपरोक्त श्रेणियों में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संपूर्ण सूची;
- (5) अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर अंतर-राज्यिक एवं अंतःराज्यिक व्यापार, खातों की सभी अनुसूचियों तथा टिप्पणों के साथ कारोबार के अनुभागों से संबंधित निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता सहित वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां, जिस वर्ष से संबंधित हैं उसकी समाप्ति के बाद नौ मास से पूर्व आयोग को प्रस्तुत करेगा और कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए अपनी वेबसाइट या किसी प्राधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित रखेगा;
- (6) अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहारों की निगरानी के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 14 में यथापरिभाषित डीम्ड व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस विनियम के खंडों (2) से (5) के अधीन यथापेक्षित जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी;
- (7) समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित पावर बाजार विनियमों के अधीन यथानिर्धारित कोई रिपोर्ट या जानकारी प्रस्तुत करेगा;
- (8) निम्नलिखित बातों के होने पर यथासंभव शीघ्रता से उस बात के होने के 1 मास के अंदर आयोग को रिपोर्ट करेगा:

- (क) जब व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार, या प्रवर्तक, या निदेशक दिवालिया घोषित किया गया हो;
- (ख) जब व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या प्रवर्तक, या निदेशक को नैतिक अधमता, कपट या किसी आर्थिक अपराध में शामिल अपराध के लिए सिद्धदोषी ठहराया गया हो;
- (ग) जब आयोग द्वारा किसी भी सहयुक्त, या भागीदार, या प्रवर्तक, या निदेशक की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो;
- (घ) जब व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या प्रवर्तक, या निदेशक को अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का उपयुक्त आयोग द्वारा किए गए आदेश का पालन न करने के लिए दोषी पाया गया हो;
- (ङ) जहां किसी विधि के भौतिक उल्लंघन के लिए या अधिनियम, नियम तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन के लिए उपयुक्त आयोग के समक्ष व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही आरंभ हुई हो या आयोग या राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के आदेशों तथा निर्देशों का गैर-अनुपालन हुआ हो।

12. कार्य-निष्पादन के मानक

- (1) आयोग, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श करने के पश्चात् जब भी आवश्यकता हो, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के किसी वर्ग के लिए कार्य-निष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- (2) खंड (1) के अधीन कार्य-निष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट किए जाने तक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी आयोग को 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के ठीक बाद 30 अप्रैल तक इन विनियमों से उपाबद्ध आयोग द्वारा नियत फॉर्म-V में विहित रूप में प्रत्येक वर्ष के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा देगा।
- (3) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को अपने ग्राहकों को सूचना का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर (i) मासिक आधार पर अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर अंतर-राज्यिक तथा अंतःराज्यिक व्यापार की मात्रा, यदि कोई हो; (ii) उसके द्वारा धारित व्यापार अनुज्ञप्तियां; (iii) आयोग के समक्ष दायर की गई याचिकाएं तथा आयोग द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेश सहित आदेश, यदि कोई हो, प्रदर्शित करना होगा।

13. विवेकाधीन रिपोर्ट करना

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी यथाशीघ्रता से, परंतु एक माह के अंदर, आयोग को -

- (1) अपनी उन परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन के संबंध में रिपोर्ट देगा जिससे उसकी योग्यता पर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों, आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों और आदेशों, ग्रीड कोड, करार या अनुज्ञप्ति के अधीन उसकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रभाव पड़े;
- (2) अधिनियम, नियम और विनियम के उपबंधों, आयोग द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों, ग्रीड कोड, करार या अनुज्ञप्ति के उपबंधों का कोई भौतिक उल्लंघन; और

- (3) उसके शेरधारण पैटर्न, स्वामित्व या प्रबंधन में कोई मुख्य परिवर्तन या इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता मानकों के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट देगा।

14. अनुज्ञप्ति का संशोधन

- (1) आयोग द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को आयोग द्वारा लोक हित में या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर या अन्यथा किया जा सकेगा;

परंतु यह कि अनुज्ञप्ति में कोई मूल परिवर्तन या संशोधन का कोई भी आदेश करने से पूर्व, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन से भिन्न किए जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में आयोग ऐसे दो दैनिक समाचारपत्रों में, जो वह उचित समझे, निम्नलिखित विवरणों के साथ एक सूचना प्रकाशित करेगा, अर्थात् :-

- (क) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता;
- (ख) किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन एवं संशोधन;
- (ग) ऐसे परिवर्तनों एवं संशोधनों के लिए आधार; और
- (घ) नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आयोग के विचार के लिए प्रस्ताव पर सुझाव, यदि कोई हो, आमंत्रित करेगा।

- (2) यदि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में किसी भी मूल परिवर्तन या संशोधन के लिए आवेदन करता है तो विनियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी:

परंतु यह कि जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपनी अनुज्ञप्ति में कोई मूल परिवर्तन या संशोधन करने का प्रस्ताव करने के लिए आवेदन किया है वहां वह निम्नलिखित विवरणों सहित प्रारूप VI में एक आर्थिक समाचारपत्र सहित दिल्ली से प्रकाशित के अतिरिक्त सभी 5 क्षेत्रों में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में इस प्रकार के आवेदन का नोटिस प्रकाशित, अर्थात् :-

- (क) आवेदक का नाम;
- (ख) उसे प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की श्रेणी;
- (ग) यह कि परिवर्तन तथा संशोधन के लिए आवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है;
- (घ) आवेदन में प्रस्तावित परिवर्तन तथा संशोधन के ब्यौरे;
- (ङ) ऐसे परिवर्तन और संशोधन के कारण;
- (च) ऐसा विवरण कि आयोग के समक्ष किए गए आवेदन को वेबसाइट पर डाल दिया गया है तथा उसका आवेदक के कार्यालय में निरीक्षण भी किया जा सकता है;
- (छ) ऐसा विवरण कि आवेदन में किए गए परिवर्तन तथा संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के लिए कोई भी सुझाव सूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर आयोग के सचिव को भेजे जा सकेंगे।

परंतु कि अपनी अनुज्ञप्ति की उच्चतर श्रेणी में उन्नयन या अपनी अनुज्ञप्ति की निम्नतर श्रेणी में अवनयन के लिए आवेदन करने वाला व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विनियम 15 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि का अनुपालन करेगा।

15. अनुज्ञप्ति के उन्नयन या अनुज्ञप्ति का अवनयन या श्रेणी—। व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए शुद्ध धन(नेटवर्थ) मानदंड के अनुपालन के लिए प्रक्रिया

(1) अनुज्ञप्ति का उन्नयन:

- (क) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी विशेष वर्ष में व्यापारित की जाने वाली प्रस्तावित मात्रा के आधार पर उच्चतर श्रेणी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
- (ख) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी जैसे ही व्यापार मात्रा को अपनी मौजूदा श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट व्यापार मात्रा की सीमा को पार करने की प्रत्याशा करता है, उसी समय उसे आयोग के समक्ष अपनी अनुज्ञप्ति के उच्चतर श्रेणी में उन्नयन के लिए आवेदन करना होगा।
- (ग) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (घ) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को उच्चतर श्रेणी अनुज्ञप्ति के लिए शुद्ध धन(नेटवर्थ) आवश्यकता के अनुपालन के समर्थन में लेखापरीक्षित विशेष तुलन पत्र जमा करना होगा।
- (ङ) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी उच्चतर श्रेणी अनुज्ञप्ति के लिए लागू अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करेगा यदि किसी विशेष वर्ष में अनुज्ञप्ति का उन्नयन होता है:

परंतु यह यदि किसी विशेष वर्ष में व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अपनी मौजूदा निम्नतर श्रेणी अनुज्ञप्ति के लिए लागू अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान पहले ही कर चुका है, तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को उच्चतर श्रेणी अनुज्ञप्ति के लिए लागू शुल्क तथा मौजूदा अनुज्ञप्ति श्रेणी के लिए पहले से ही भुगतान किए गए शुल्क के अंतर के समतुल्य का भुगतान करेगा।

(2) श्रेणी—। व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए शुद्ध धन(नेटवर्थ) मानदंड के अनुपालन

- (क) यदि श्रेणी—। व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अपनी व्यापार मात्रा को किसी विशेष वर्ष के लिए विनियम 3 में विनिर्दिष्ट व्यापार सीमाओं को पार करने की प्रत्याशा करता है, तो श्रेणी—। व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को इन मात्राओं के संव्यवहार से पूर्व प्रत्याशित मात्रा के अनुरूप अपनी शुद्ध धन(नेटवर्थ) में वृद्धि करनी होगी।
- (ख) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को शुद्ध धन(नेटवर्थ) आवश्यकता के अनुपालन के समर्थन में लेखापरीक्षित विशेष तुलन पत्र जमा करना होगा।

(3) अनुज्ञप्ति का अवनयन:

- (क) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय अपनी अनुज्ञप्ति की निम्नतर श्रेणी में अवनयन के लिए आयोग को आवेदन कर सकता है।
- परंतु यह कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को उसी वर्ष में अनुज्ञप्ति के उन्नयन के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ख) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को निम्नतर श्रेणी अनुज्ञप्ति के लिए शुद्ध धन(नेटवर्थ) आवश्यकता के अनुपालन के समर्थन में लेखापरीक्षित विशेष तुलन पत्र अपलोड करना होगा।

(ग) अनुज्ञप्ति के अवनयन के लिए आवेदन करते समय, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके लिए लागू अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना होगा।

16. अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि:

- (1) जहां आयोग अपने पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर, संतुष्ट हो जाता है कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो वह उसकी आपत्तियों या सुझावों को आमंत्रित करने के लिए उसके द्वारा उल्लंघन की गई अनुज्ञप्ति की निबंधन और शर्तों का वर्णन करते हुए व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस भेजेगा।
- (2) नोटिस की तामील उसको उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या उसके निवास या कारबार के सामान्य या अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या वाहक के माध्यम से परिदान करके की जाएगी या समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा तब की जाएगी यदि आयोग संतुष्ट हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या हाथ से या किसी अन्य रीति से, जो मामले के तथ्यों पर परिस्थितियों में आयोग उचित समझे, सूचना की तामील करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है।
- (3) आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निबंधनों तथा शर्तों का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने की संभावना को विनिर्दिष्ट करते हुए दो समाचारपत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा जिससे ऐसे व्यक्ति से सुझाव आमंत्रित करने के लिए ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित होने वाले व्यक्ति को इस संबंध में सूचना दी जा सके।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित होने वाला व्यक्ति, यथास्थिति, खंड (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से या खंड (3) के अधीन समाचारपत्रों में सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर अपनी आपत्तियां या सुझाव, फाइल कर सकेगा।
- (5) आयोग यथापूर्वोक्त प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार करने पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निदेश दे सकेगा जो अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

अध्याय—VI

उल्लंघन और दंड

17. व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम के उपबंधों, तथा उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के उल्लंघन तथा आयोग के आदेशों के गैर-अनुपालन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) इन विनियमों के विनियम 9(22) के अधीन विनिर्दिष्ट नियमों तथा विनियमों अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन और गैर-अनुपालन;
- (2) मासिक रिपोर्टिंग में संव्यवहारित मात्रा की कम रिपोर्टिंग;
- (3) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शुद्ध मालियत मानदंडों को हासिल करने में असफलता;
- (4) इन विनियमों में निर्धारित सीमाओं के अधिक व्यापार मार्जिन प्रभारित करना;
- (5) आयोग के किसी विनियम के उल्लंघन के लिए जारी आदेशों सहित आयोग के आदेशों का गैर-अनुपालन;

- (6) अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अधिभार का गैर-भुगतान, यदि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 या उसके सांविधिक पुनः अधिनियमन में विनिर्दिष्ट नियत तारीख में लागू हो;
- (7) विनियम 11 के खंड (2) के अधीन मांगी गई मासिक संव्यवहार जानकारी में विलंब या गैर-प्रस्तुतीकरण;
- (8) इन विनियमों के विनियम 15 के अनुपालन में असफलता;
- (9) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट विनियम 9 के खंड (23) के अनुपालन में असफलता;
- (10) इस विनियम के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी विनियम के अधीन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली किसी रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण में विलंब या न करना;
- (11) आयोग द्वारा मांगी गई किसी अन्य सूचना प्रस्तुत करने में विलंब;
- (12) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर इन विनियमों के विनियम 11 के खंड (2) के उपबंध के अनुसार अधिदेशात्मक प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग करने में असफलता।

18. उल्लंघनों का संज्ञान के लिए क्रियाविधि

- (1) आयोग के अपने अधिकार में सूचना के आधार पर या किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर संतुष्ट होने पर कि विनियम 17 के किसी भी उपबंध के संबंध में किसी व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला है, तो आयोग व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विरुद्ध स्वप्रेरणा से कार्यवाही आरंभ कर सकता है तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को कार्यवाही के उद्देश्य से यथावश्यक इस प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है:

परंतु यह कि शुल्क के गैर-भुगतान के लिए कार्यवाही आरंभ की जाएगी यदि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 के अनुसार भुगतान की नियत तारीख की समाप्ति के सात दिनों के भीतर शुल्क एवं अधिभार, यदि कोई हो, जमा करने में असफल रहता है।

परंतु यह भी कि भुगतान की तारीख से पंद्रह दिनों की समाप्ति के बाद अनुज्ञप्ति को निलंबित समझा जाएगा और तब तक निलंबित रहेगा जब तक शुल्क एवं अधिभार, यदि कोई हो, का भुगतान नहीं होता या निलंबन वापस नहीं लिया जाता।

- (2) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए उस पर कोई दण्ड अधिरोपित नहीं होगा।

- (3) दण्ड, यदि कोई हो, इन विनियमों के विनियम 19 के अनुसार अधिरोपित होगा।

19. उल्लंघन एवं गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना

जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध उल्लंघन का आरोप सिद्ध होता है, वहां आयोग निम्नलिखित कर सकता है:

- (1) मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जैसी भी परिस्थिति के अधीन ठीक समझा जाए, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को चेतावनी दे सकता है; या
- (2) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को यह निर्देश देना कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को दण्ड के माध्यम से एक राशि जो कि प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक लाख से अधिक नहीं होगी और लगातार असफलता की स्थिति में अतिरिक्त दण्ड जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें प्रथम इस प्रकार के निर्देश के उल्लंघन के बाद असफलता बनी रहती है, के लिए छह हजार रुपए हो सकता है; तथा/या

- (3) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को अल्पकालिक बाजार या दीर्घकालिक बाजार या पावर एक्सचेंजों के माध्यम से या बैंकिंग या विद्युत के सीमा पार व्यापार से ऐसी अवधि के लिए जिसे आयोग विनिर्दिष्ट करे, व्यापार करने से रोक सकता है; या
- (4) ऐसी अवधि के लिए अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है, जिसे आयोग विनिर्दिष्ट करे; या
- (5) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरण कर सकता है; या
- (6) इस प्रकार के अन्य निर्देश जारी कर सकता है या इस प्रकार की अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकता है जैसा आयोग उपयुक्त समझे;

परंतु कि रोक या निलंबन के मामले में, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जैसा भी मामला हो, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के संव्यवहारों के लिए विद्युत की अनुसूची और प्रेषण के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

अध्याय—VII अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

20. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

(1) आयोग, अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) जहां आयोग की राय में, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा या उससे अधीन अपेक्षित कोई बात करने में जानबूझकर और दीर्घ चूक करता है;
- (ख) जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति की किसी निबंधनों और शर्तों को भंग करता है, जिसके भंग होने से ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा प्रतिसंहरण का दायी होना स्पष्ट रूप से घोषित है;
- (ग) जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त नियत अवधि के भीतर या किसी ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, असफल रहता है जो आयोग अपने संतुष्ट रूप में यह दर्शित करने के लिए अनुज्ञात करे कि वह उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतः और सामर्थ्यपूर्वक निर्वहन करने की स्थिति में है;
- (घ) जहां आयोग की राय में, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा उसे अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतः और सामर्थ्यपूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ है;
- (ङ) जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत में व्यापार करने में उपेक्षा की है;
- (च) जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विनियम 3 के अनुसार आवेदन करने के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताओं या इन विनियमों के अधीन किसी भी उपगत अनर्हता को पूरा करने में असफल रहता है;
- (छ) जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विनियम 11, 12 एवं 13 के अधीन यथाअपेक्षित जानकारी देने में असफल रहता है या जानबूझकर मिथ्या या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है;

- (ज) जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 के अनुसार निर्धारित तारीख तक शुल्क या उसकी अनुज्ञप्ति के द्वारा यथापेक्षित अन्य प्रभारों या आयोग द्वारा अधिरोपित किसी दंड का भुगतान करने में असफल रहता है;
- (झ) जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी किन्हीं प्रकार की संविदाओं के लिए व्यापार मार्जिन को प्रभारित करने हेतु निर्धारित सीमा का उल्लंघन करता है;
- (ञ) जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विनियम 3 में विनिर्दिष्ट शुद्ध मालियत को बनाए रखने में असफल रहता है।
- (2) जांच करने पर, यदि आयोग संतुष्ट हो जाता है कि खंड (1) में यथोल्लिखित प्रतिसंहरण के लिए कोई भी आधार मौजूद है तथा लोक हित में अपेक्षित है, तो आयोग जैसा भी यथोचित समझे, इन निबंधन और शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकता है:
- बशर्ते कि आयोग ने उन आधारों का उल्लेख करते हुए जिन पर अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत किया जाना है, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को तीन मास से अन्यून की सूचना नहीं दी है तथा प्रस्तावित प्रतिसंहरण के विरुद्ध सूचना की अवधि के भीतर व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रकट किए गए कारण को मान लिया है।
- बशर्ते यह भी कि आयोग, अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने के बजाय, ऐसे अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आयोग आरोपित करना ठीक समझे, अनुज्ञप्ति को प्रवर्तन में बने रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और इस प्रकार अधिरोपित कोई भी अतिरिक्त निबंधन और शर्तें अनुज्ञप्ति की निबंधन और शर्तें समझी जाएंगी और व्यापार अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होंगी।
- (3) जहां व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करता है, आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज होने चाहिए:
- (क) प्रतिसंहरण मांगने का कारण;
- (ख) इस संबंध में शपथपत्र कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ने उस वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कर दिया है जिसमें प्रतिसंहरण मांगा गया है; यह कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कोई अनुन्मोचित देयताएं नहीं हैं; तथा उक्त आवेदन को भरते समय विद्युत व्यापार के लिए कोई प्रचालित संविदाएं नहीं हैं जिसमें आवेदक कोई पार्टी हो;
- (ग) इस आशय का शपथपत्र कि आवेदक अपनी वेबसाइट पर पूर्ण आवेदन प्रकाशित कर दिया है और आयोग द्वारा इसके निपटान तक अपनी वेबसाइट पर आवेदन को अपलोड करेगा;
- (घ) यह दर्शाने वाले दस्तावेज कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ने एक आर्थिक समाचार पत्र सहित दिल्ली से प्रकाशित के अतिरिक्त प्रत्येक पांच क्षेत्रों में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रतिसंहरण के लिए अपने आवेदन के बारे में नोटिस प्रकाशित किया है;
- (4) जहां खंड (3) के अनुसार किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद आयोग संतुष्ट हो जाता है कि यह लोकहित में अपेक्षित है, तो आयोग जैसा भी उचित समझे इन निबंधन और शर्तों पर व्यापार के पूर्ण या किसी भाग के लिए अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करेगा;

- (5) जहां इस विनियम के खंडों (2) और (4) के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण किया गया है, आयोग व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिसंहरण का नोटिस देगा और उस तारीख को निर्धारित करेगा जिससे प्रतिसंहरण प्रभावी होगा।

अध्याय—VIII प्रकीर्ण

21. विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में अतिरिक्त उपबंध

- (1) मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी विनियम 9 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट शुद्ध धन(नेटवर्थ), चालू अनुपात तथा नगदनिधि अनुपात हासिल करेगा तथा शुद्ध धन(नेटवर्थ) आवश्यकताओं के अनुपालन के समर्थन में इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर एक लेखापरीक्षित विशेष तुलन पत्र जमा करेगा।

परंतु यह कि मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त का अनुपालन करने में असफल होता है, तो मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर श्रेणी में परिवर्तन करने के लिए आवेदन करेगा।

- (2) मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी विनियम 8 के अनुसार व्यापार मार्जिन प्रभारित करेंगे।

- (3) मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करेंगे:

परंतु यह कि अनुज्ञप्ति शुल्क जब भी पुनरीक्षित होगा, मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस पुनरीक्षण की तारीख से, वर्ष के अंत तक समानुपातिक आधार पर, भुगतान किया जाएगा।

22. पत्र—व्यवहार

- (1) जब तक इन विनियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित सभी पत्र—व्यवहार लिखित में होंगे तथा संबोधिती या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किए जाएंगे या संबोधिती के कारोबार के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा भेजे जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे।

- (2) सभी सूचनाएं भेजने वाले द्वारा उस समय दी गईं और संबोधिती द्वारा उस समय प्राप्त की गईं समझी जाएंगी जब -

(क) संबोधिती को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजी जाती हैं; और

(ख) संबोधिती के पते और रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा संसूचनाएं भेजने की तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति पर भेजी जाती हैं।

(ग) ई-मेल द्वारा भेजी जाती है जब संबोधिती विनिर्दिष्ट रूप से पत्र—व्यवहार की इस रीति का चयन करता है।

- (3) जब कभी इन विनियमों के अधीन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी से उसकी वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है, तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को वह सूचना केवल परिवर्तित पीडीएफ प्रारूप में प्रकाशित करनी होगी न कि दस्तावेजों की छवियां।

23. **शिथिल करने की शक्ति:** आयोग समुचित मामलों में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा।
24. **निरसन:** जब तक इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का निर्धारण) विनियम, 2010 तथा उनके सभी अनुवर्ती संशोधनों को इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से निरसित किए जाएंगे।

गीतू जोशी, प्रमुख (अर्थशास्त्र)
[विज्ञापन III/4/असा./430/2019]

प्रारूप— I

अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. पता
(क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
(ख) पत्राचार के लिए पता
(ग) वेबसाइट का पता
3. संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता
4. संपर्क टेलिफोन नंबर
5. फ़ैक्स नंबर
6. ई-मेल आईडी
7. आवेदक की स्थिति
(क्या वह भारत का नागरिक है या भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अंतर्गत पंजीकृत साझेदारी फर्म या कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अंतर्गत समाविष्ट कंपनी या व्यक्तियों की कोई ऐसी संगम या निकाय है जो भारत के नागरिक हैं भले ही भारतीय विधि या के अंतर्गत ये समाविष्ट हैं या नहीं हैं या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन सीमित देयता भागीदारियों के अंतर्गत ये समाविष्ट हैं या नहीं हैं या कृत्रिम विधिक व्यक्ति हैं। यदि सूचीबद्ध कंपनी है तो उस स्टॉक एक्सचेंजों का नाम जिसमें सूचीबद्ध किए गए हैं और नवीनतम शेयर कीमत दी जाए)
8. समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का स्थान
9. समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का वर्ष
10. संगम ज्ञापन का वह खंड जिसमें विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार को प्राधिकृत किया गया है (सुसंगत भाग का उल्लेख करें)
11. क्या संगम ज्ञापन विद्युत के पारेषण को प्राधिकृत करता है। यदि हाँ, तो सुसंगत भाग का उल्लेख करे:
12. (क) प्राधिकृत शेयर पूंजी
(ख) जारी की गई शेयर पूंजी
(ग) अभिदत्त शेयर पूंजी
(घ) प्रदत्त शेयर पूंजी
टिप्पण: निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएंगी:
(क) समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
(ख) कारबार आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र, जहां लागू हो

- (ग) संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद
 (घ) आवेदक की सुपुर्द करने के लिए हस्ताक्षरी के पक्ष में मूल पावर आफ अटार्नी
13. आवेदित अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग
14. व्यापार किए जाने के लिए आशयित ऊर्जा की मात्रा
15. व्यापार का क्षेत्र:
 भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन जिसमें आवेदक का विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार आरंभ करने का प्रस्ताव है।
16. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार शुद्ध धन (नेटवर्थ) (यदि लागू हो)
 (ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को शुद्ध धन (नेटवर्थ)
17. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वर्तमान अनुपात (यदि लागू हो)
 (ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को वर्तमान अनुपात
18. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार तरलता अनुपात (यदि लागू हो)
 (ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को तरलता अनुपात
19. आवेदन करने के तारीख को शेयर होल्डिंग के ब्यौरे (प्रत्यक्ष रूप से आवेदक या उसके संबंधियों के 5% या उससे अधिक के शेयरों के रखने वाले प्रत्येक शेयरधारकों का ब्यौरा दें)
 (क) शेयर धारक का नाम
 (ख) नागरिकता
 (ग) आवासीय स्थिति
 (घ) धारित शेयरों की संख्या
 (ङ) कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी की प्रतिशतता
20. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वार्षिक टर्नओवर (यदि लागू हो)
 (ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र को तैयार करने की तारीख को टर्नओवर
21. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता : आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रस्तावित कार्यालय एवं प्रेषण सुविधाओं आदि के लिए विभिन्न कार्यपालकों के ब्यौरे एवं अपनी संगठनात्मक संरचना के रूप में इन विनियमों के अनुसार अपनी संगठनात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता का सबूत संलग्न करें।
22. दृष्टिकोण एवं प्रणाली : आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने द्वारा यथा प्रस्तावित व्यापार व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए दृष्टिकोण एवं प्रणाली को वर्णित करे।
23. अन्य सूचना
- (क) क्या आवेदक या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक दिवालिया घोषित किया गया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा। चाहे वे उसके लिए निर्माचित नहीं किए गए हैं;
- (ख) आवेदन करने के वर्ष तथा आवेदन करने के ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान आवेदक, या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक की नैतिक अधमता, कपट या आर्थिक अपराध की दोषसिद्धि पर रहने के परिणामस्वरूप मामलों के ब्यौरे तथा ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कारावास, यदि कोई हो, से उपरोक्त व्यक्ति को निर्मुक्त करने की तारीख;
- (ग) क्या आवेदक या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक को कभी अनुज्ञप्ति देने से इंकार किया गया था। यदि हां, तो आवेदन की तारीख और इंकार करने के कारणों का ब्यौरा दें;
- (घ) क्या आवेदक के पास पारेषण अनुज्ञप्ति है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें;
- (ङ) क्या आयोग ने आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक की अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया है;

(च) क्या आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक या निदेशक को अधिनियम, या उसके अधीन किसी कार्यवाही में बनाए गए नियमों तथा विनियमों के किन्हीं उपबंधों या समुचित आयोग द्वारा किए गए आदेश के उल्लंघन को दोषी पाया गया है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।

24. संलग्न दस्तावेजों की सूची : दस्तावेजों के नाम

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

स्थान:

(आवेदक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

दिनांक:

प्रारूप— II

आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):

पंजीकृत कार्यालय/निगमित कार्यालय का पता (बड़े अक्षरों में):

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस

1.	<p>उक्त नाम के व्यक्ति, कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अधीन निर्मित कंपनी/एक साझेदारी फर्म या एकल प्रोपराइटरशिप फर्म/एक व्यक्ति/एक एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय/एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (जो लागू नहीं है उसे काट दें) (आवेदक) ने केविविआ, नई दिल्ली के समक्ष (उस भौगोलिक क्षेत्र का संकेत करें जिसमें आवेदक ने व्यापार का प्रस्ताव किया है) में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए प्रवर्ग की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया है। आवेदक के संबंध में आवश्यक ब्यारे नीचे दिए गए हैं:</p> <p>i. प्राधिकृत, जारी किया गया, अभिदत्त और समादत्त पूंजी।</p> <p>ii. शेयरहोल्डिंग पैटर्न (5 प्रतिशत या अधिक का शेयर धारण करने वाले शेयरहोल्डरों के ब्यारों को दर्शायें) शेयरधारक का नाम नागरिकता आवासीय स्थिति शेयरों की संख्या कुल प्रदत्त पूंजी के शेयर का प्रतिशत</p> <p>iii. वित्तीय एवं तकनीकी संख्या</p> <p>iv. विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार तथा इसी प्रकार की गतिविधि में आवेदक के प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति या/और आवेदक के विगत अनुभव के ब्यारे सहित आवेदक का प्रबंधन प्रोफाइल</p> <p>v. अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात पिछले वर्ष के दौरान व्यापार किए जाने के लिए आशयित विद्युत की मात्रा और व्यापार की मात्रा तथा व्यापार की मात्रा को बढ़ाने के लिए आवेदक की भावी योजना।</p> <p>vi. वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर आवेदक विद्युत में व्यापार प्रारंभ करेगा।</p> <p>vii. आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षोंके 31वें मार्च को या ऐसी, कम अवधि, जो लागू हो, तथा आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलनपत्र की तारीख को शुद्ध धन(नेटवर्थ)।</p> <p>viii. उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है, के पूर्ववर्ती तीन वर्षोंके लिए या ऐसी कम अवधि, जो लागू हो, तथा आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलनपत्र की तारीख को आवेदक का वर्षवार वर्तमान अनुपात तथा नकद अनुपात।</p> <p>ix. (क) ऐसा कथन कि आवेदक संगम-ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज के अधीन विद्युत में व्यापार आरंभ करने के लिए प्राधिकृत है। (ख) यदि हां, तो संगम ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज का वह विनिर्दिष्ट उपबंध उद्धृत करें जो विद्युत में व्यापार को प्राधिकृत करता है।</p> <p>x. उन मामलों, यदि कोई हों, के ब्यारे, जिनमें आवेदक या उसके कोई सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक को दिवालिया घोषित किया गया है तथा निर्मोचित नहीं किया गया है।</p> <p>xi. ऐसे मामलों, यदि कोई हों, के ब्यारे जिनमें आवेदक या उसका कोई सहयुक्त, भागीदार या संप्रवर्तक या निदेशक को आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों और आवेदन करने के वर्ष के दौरान नैतिक अधमता,</p>
----	--

	<p>कपट या किसी आर्थिक अपराध में लिप्त होने के लिए किसी अपराध से दोषसिद्ध ठहराया जा चुका हो तथा ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कारावास, यदि कोई हो, से उपरोक्त व्यक्ति को निर्मुक्त करने की तारीख। व्यक्ति का नाम आवेदक के साथ नातेदारी अपराध की प्रकृति दोषसिद्धि की तारीख</p> <p>xii. क्या आवेदक या उसके सहयुक्त या भागीदार, या संप्रवर्तक, निदेशक को कभी अनुज्ञप्ति देने से इंकार किया है, और यदि हां तो आवेदन की विस्तृत विशिष्टियां, आवेदन करने की तारीख अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने वाले आदेश की तारीख तथा ऐसे इंकार के लिए कारणों का ब्यौरा दें।</p> <p>xiii. क्या आवेदक को विद्युत के पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।</p> <p>xiv. क्या आयोग ने आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक की अनुज्ञप्ति को रद्द करने वाला आदेश पारित किया है।</p> <p>xv. क्या आवेदक या उसके किसी सहयुक्त, या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक को अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों तथा समुचित आयोग के किसी आदेश के अननुपालन के अतिलंघन के लिए किसी कार्यवाही में कभी दोषी पाया गया था।</p>
2.	आयोग के समक्ष फाइल किया गया तथा अन्य दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए के पास (यहां, नाम, पदनाम, पता तथा उस व्यक्ति का टेलीफोन नं जिसके पास आवेदन का निरीक्षण किया जा सकता है) उपलब्ध है।
3.	आयोग के समक्ष फाइल किया गया आवेदन और अन्य दस्तावेज पर पोस्ट कर दिए गए हैं (उस वेबसाइट का पता दें जिस पर पोस्ट किया गया है)
4.	आयोग के समक्ष किए गए आवेदन पर आपत्तियां या सुझाव यदि कोई हों, सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को (ऐसा पता दें जहां आयोग का कार्यालय स्थित है) आवेदक को प्रति देते हुए इस सूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर भेजी जा सकेंगी।
5.	आयोग द्वारा उन आपत्तियों या सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा जो सूचना के प्रकाशन की तारीख के तीस दिन के पश्चात् प्राप्त होती है।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

प्रारूप—III

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत में अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति

1. विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आयोग" कहा गया है) अधिनियम (विशिष्टतया, इसकी धारा 17 से धारा 22 जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विनियम" कहा गया है) जिनमें सांविधिक संशोधन, परिवर्तन, उपांतरण, उसकी अधिनियमितियां भी सम्मिलित हैं, जो इस अनुज्ञप्ति के भाग रूप में पढ़े जाएंगे, में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए,..... क्षेत्र में विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत में व्यापार करने के लिए

- (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अनुज्ञप्तिधारी” कहा गया है) को प्रवर्ग के रूप में अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।
2. सिवाय अधिनियम नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार, यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है।
 3. (1) अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा—
 - (क) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के संबंध में, क्रय द्वारा या ग्रहण करके या अन्यथा अर्जित करने का कोई संव्यवहार नहीं करेगा; या
 - (ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के साथ विलयन नहीं करेगा।
 - (2) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी समय, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना विक्रय, पट्टे, विनियम या अन्यथा द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति को समनुदेष्टित नहीं करेगा या उसकी उपयोगिता का अंतरण नहीं करेगा;
 - (3) उपखंड (1) और उपखंड (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से संबंधित कोई करार जब तक कि वह आयोग के पूर्व अनुमोदन के या उसके अधीन नहीं किया गया हो, शून्य होगा।
 4. अनुज्ञप्तिधारी को यह अनुज्ञप्ति प्रदान करने से विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का कारबार करने के लिए उसी क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के अधिकार किसी भी रूप में बाधित या निर्बंधित नहीं होंगे। अनुज्ञप्तिधारी अनन्य रूप से कोई भी दावा नहीं करेगा।
 5. अनुज्ञप्ति इसके जारी करने की तारीख से प्रारंभ होगी और जब तक कि वह पहले प्रतिसंद्धत नहीं कर जी जाती है, 25 (पच्चीस) वर्षों की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी।
 6. अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को पूर्व अनुमोदन से, अपनी आस्तियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए कोई भी कारबार कर सकेगा।
परंतु कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के पारेषण का कारोबार नहीं करेगा।
 7. आयोग द्वारा जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अनुज्ञप्तिधारी रु..... लाख की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा तथा वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति फीस सौ रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किए गए आनुपातिक आधार पर संदत्त होगी।
 8. अधिनियम की धारा 19 से धारा 22 तक, दोनों सहित, में अंतर्विष्ट उपबंध अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण और उसकी उपयोगिता के विक्रय के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होंगे।

प्रारूप IV—क

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत का अल्पकालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार (आरटीसी*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम:

अनुज्ञप्तियों के ब्यौरे (सं. एवं तारीख):

मास:

क्र. सं.	ऊर्जा डिलीवरी की अवधि		ऊर्जा डिलीवरी का समय		अनु-सूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय			निम्नलिखित को विक्रीत			क्रय कीमत (₹/किलो वाट घंटा)	विक्रय कीमत (₹/किलो वाट घंटा)	व्यापार मार्जिन (₹/किलो वाट घंटा)	
	प्रारंभिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रारंभिक समय (घंटे : मिनट)	अंतिम समय (घंटे : मिनट)		विक्रेता का नाम	श्रेणी	राज्य	क्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य				
क	अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार														
1															
2															
3															
ख	बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार														
1															
2															
3															
ग	क्रॉस-बांडर संव्यवहार														
1															
2															
3															

*आरटीसी = चौबीस घंटे (24 घंटे अर्थात् 00:00 से 24:00)

टिप्पण: (1) आंकड़ों को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

टिप्पण: (2) क्रेता/विक्रेता, जैसे उत्पादक, कैंपिब ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, औद्योगिक निर्बाध पहुंच ग्राहक व्यापारी (जहां लागू हो) आदि के नाम तथा श्रेणी को उपदर्शित करें।

टिप्पण: (3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम, कानूनी जानकारी)

टिप्पण: (4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन तक आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजा जाएगा।

टिप्पण: (5) आंकड़े आयोग को प्रस्तुत किए जाएंगे अर्थात् सचिव, केविविआ को स्पष्ट प्रति, एक्सेल शीट में ईमेलक्षौदामिनी पोर्टल (ई-मॉनिटरिंग) के माध्यम से सॉफ्ट प्रति।

टिप्पण: (6) क्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा।

प्रारूप IV-घ

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के दीर्घकालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम:

अनुज्ञप्तियों के ब्यौरे (सं. एवं तारीख):

मास:

क्र. सं.	ऊर्जा डिलीवरी की अवधि		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय			निम्नलिखित को विक्रीत			विक्रय कीमत (₹/किलोवाट घंटा)	व्यापार मार्जिन (₹/किलोवाट घंटा)
	प्रारंभिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)		विक्रेता का नाम	श्रेणी	राज्य	क्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य		
क	अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार										
1											
2											
3											
ख	बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार										
1											
2											
3											
ग	क्रॉस-बार्डर संव्यवहार										
1											
2											
3											

टिप्पण: (1) आंकड़ों को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

टिप्पण: (2) क्रेता/विक्रेता, जैसे उत्पादक, कैंपिब ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, औद्योगिक निर्बाध पहुंच ग्राहक व्यापारी (जहां लागू हो) आदि के नाम तथा श्रेणी को उपदर्शित करें।

टिप्पण: (3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम, कानूनी जानकारी)

टिप्पण: (4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन तक आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजा जाएगा।

टिप्पण: (5) आंकड़े आयोग को प्रस्तुत किए जाएंगे अर्थात् सचिव, केविविआ को स्पष्ट प्रति, एक्सेल शीट में ईमेलक्षौदामिनी पोर्टल (ई-मॉनिटरिंग) के माध्यम से सॉफ्ट प्रति।

टिप्पण: (6) क्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा।

प्रारूप IV-ड

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के अल्पकालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम:

मास:

क्रम सं.	कूल संव्यवहारित मात्रा (एमयू)	राज्य
अल्पकालिक संव्यवहार		
1		
2		
3		
4		
दीर्घकालिक संव्यवहार		
1		
2		
3		
4		

टिप्पण—(1) कूल संव्यवहारित मात्रा का प्रत्येक राज्य के भीतर सभी संव्यवहारों के लिए योग किया जाएगा।

टिप्पण—(2) पक्षकारों के नाम तथा इन संव्यवहारों की कीमतों की आवश्यकता नहीं है।

प्रारूप IV—च

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा डे-अहेड पावर एक्सचेंज संव्यवहार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम:

मास:

क्रम सं.	डिलीवरी की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रत्येक ग्राहक के लिए कुल अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय		निम्नलिखित को विक्रीत	
			विक्रेता का नाम/पीएक्स का नाम	राज्य	क्रेता का नाम/पीएक्स का नाम	राज्य
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

टिप्पण: प्रत्येक 15 मिनट संविदा के लिए व्यापार मार्जिन पृथक रूप से प्रभारित किया जाएगा। तथापि, आंकड़ों की वृहत मात्रा को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग दैनिक-वार आधार पर की जाएगी।

प्रारूप IV—च मार्जिन:

डे-अहेड पावर एक्सचेंज संव्यवहारों में व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रभारित मार्जिन

क्रम सं.	ग्राहक का नाम	आईईएक्स	पीएक्सआईएल
		प्रभारित मार्जिन (₹/किलोवाट घंटा)	प्रभारित मार्जिन (₹/किलोवाटघंटा)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

प्रारूप IV—छ

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के टर्म-अहेड पावर एक्सचेंज संव्यवहार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम:

मास:

क्रम सं.	पावर एक्सचेंज का नाम (आईईएक्स/पीएक्सआईएल)	पावर डिलीवरी की अवधि		पावर डिलीवरी का समय		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय		निम्नलिखित को विक्रीत		संव्यवहार कीमत (₹/किलोवाट घंटा)	व्यापार मार्जिन (₹/किलोवाट घंटा)
		प्रारंभिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रारंभिक समय (घंटा : मिनट)	अंतिम समय (घंटा : मिनट)		विक्रेता का नाम	राज्य	क्रेता का नाम	राज्य		
क	अंतःदिवस संविदाएं											
1												
2												
3												
ख	डे-अहेड आकस्मिक संविदाएं											
1												
2												
3												
ग	दैनिक संविदाएं											
1												
2												
3												
घ	साप्ताहिक संविदाएं											
1												
2												
3												

टिप्पण: पावर एक्सचेंज पर किसी अन्य संविदा को भी जब कभी वह आरंभ की गई हो, सम्मिलित किया जाना चाहिए।

प्रारूप IV-ज

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पावर एक्सचेंज पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) व्यापार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम:

व्यापार की तारीख: दिन/मास/वर्ष

क्रम सं.	आरईसी ग्राहक का नाम	ग्राहक का प्रकार (नवीकरणीय उत्पादक/बाध्य ईकाइयों)	पावर एक्सचेंज का नाम	मात्रा (आरईसी)	बाजार क्लियरिंग कीमत (₹/आरईसी)
गैर सौर आरईसी					
1					
2					
3					
4					
सौर आरईसी					
1					
2					
3					
4					

टिप्पण: 1 आरईसी = 1 मेगावाट घंटा

प्रारूप IV-झ

अंतर-राज्यिक बाजार में विद्युत व्यापारियों द्वारा निष्पादित ओवर द काउंटर (ओटीसी) संविदाओं के ब्यौरे

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम:

मास:

क्रम सं.	संविदा तारीख	क्रय कीमत	विक्रय कीमत	संविदागत मात्रा	संविदा की अवधि		निम्नलिखित से क्रय		निम्नलिखित को विक्रीत	
	(दिन/मास/वर्ष)	(₹. /किलोवाट घंटा)	(₹. /किलोवाट घंटा)	(एमयू)	ऊर्जा अनुसूचित आरंभिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	ऊर्जा अनुसूचित अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	नाम	राज्य	नाम	राज्य
क	चौबीस घंटे									
1										
2										
ख	व्यस्ततम									
1										
2										
ग	आरटीसी एवं व्यस्ततम से भिन्न									
1										
2										

टिप्पण: आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन को आयोग को भेजा जाएगा।

प्रारूप - IV-ज

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा द्विपक्षीय एवं पावर एक्सचेंज संव्यवहारों की वार्षिक विवरणी

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

अनुज्ञप्ति का ब्यौरा (संख्या एवं तारीख) :

वित्तीय वर्ष :

1.	अंतरराज्यिक द्विपक्षीय संव्यवहार		
	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (एमयू में)	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (₹. में)	प्रभारित कुल वार्षिक व्यापार मार्जिन (₹. में)

2.	पावर एक्सचेंज संव्यवहार		
	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (एमयू में)	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (₹. में)	प्रभारित कुल वार्षिक व्यापार मार्जिन (₹. में)

3.	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र व्यापार (आरईसी)		
	संव्यवहारित आरईसी की कुल वार्षिक मात्रा (आरईसी की संख्या)	संव्यवहारित आरईसी की कुल वार्षिक मात्रा (रु. में)	आरईसी पर प्रमाणित कुल वार्षिक व्यापार मार्जिन (रु. में)

4.	अंतः राज्यिक द्विपक्षीय संव्यवहार		
	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (एमयू में)	संव्यवहारित कुल वार्षिक मात्रा (रु. में)	

प्रारूप – V

31 मार्च, 20... को समाप्त वर्ष के लिए विद्युत व्यापारी द्वारा प्रदर्शन के मानकों के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रोफार्मा (आयोग को प्रस्तुत किया जाए)

व्यापारी का नाम:

अनुज्ञप्ति ब्यौरे (सं. एवं तिथि)

क्रम सं.	वर्ष के दौरान व्यापारित विद्युत की मात्रा	अनुज्ञप्ति प्रदान करने से रिपोर्ट के वर्ष तक संचित व्यापार	क्या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बाद विद्युत व्यापारी की श्रेणी में परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो आवश्यक ब्यौरे दें।	क्या श्रेणी के परिवर्तन हेतु निवल मालियत में वृद्धि/कमी हुई है? यदि हां, तो आवश्यक ब्यौरे दें।	31 मार्च को वर्तमान राशन एवं तरलता राशन के ब्यौरे	क्या श्रेणी में परिवर्तन के कारण आयोग को अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस जमा की गई है? यदि हां, तो आवश्यक ब्यौरे दें।	क्या किसी रेजेंसी द्वारा या स्वयं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति शर्तों का कोई उल्लंघन पाया गया है? यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें।	व्यापार के लिए क्रय की गई विद्युत का भुगतान ट्रेड रिकार्ड	क्या वर्ष के दौरान आवेदक या उसका कोई सहयुक्त, या भागीदार, या निदेशक को दिवालिया घोषित किया गया है? यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें।	क्या वर्ष के दौरान आवेदक, या उसका किसी ए भागीदार, या प्रवर्तक या निदेशक को नैतिक अधमता, कपट या आर्थिक अपराध के लिए अपराधी ठहराया गया है? यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें।	क्या वर्ष के दौरान आवेदक, या उसका किसी ए भागीदार, या प्रवर्तक या निदेशक की अनुज्ञप्ति रद्द की गई है? यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें।	क्या आवेदक, या उसके किसी ए सहयुक्त, या भागीदार, या प्रवर्तक या निदेशक को किसी उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के लिए दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें।	टिप्पणी
----------	---	--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---------

प्रारूप –VI

आवेदक का नाम और पता (मोटे शब्दों में):

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नोटिस

1.	<p>उक्त नाम के व्यक्ति ने जिसे वर्ष में मिलियन यूनिट के अंतरराज्यिक व्यापार के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) द्वारा श्रेणी अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, निम्नानुसार अनुज्ञप्ति में विकल्प और आशोधनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है।</p> <p>.....</p> <p>(यहां आवेदन में किए गए अनुज्ञप्ति में विकल्प एवं आशोधनों के लिए आधार के ब्यौरे दें।)</p>
2.	<p>परिवर्तन और उपांतरण करने के आधार निम्नलिखित हैं</p> <p>.....</p> <p>(आवेदन में दी गई अनुज्ञप्ति में परिवर्तन तथा उपांतरण यहां दें।)</p>

3.	<p>आयोग के समक्ष किया गया आवेदन तारीख को पोस्ट किया गया है।</p> <p>(यहां वेबसाइट के पते का ब्योरा दें।) और इसे के साथ किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।</p> <p>.....</p> <p>(जैसा कि आवेदन में दिए गए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम यहां दें)</p>
4.	<p>अनुज्ञप्ति में विकल्प और आशोधनों के लिए ऊपर नोट किए गए प्रस्तावों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हैं, तो आवेदक की प्रति सहित इस नोट्स के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगको भेजा जाएं (पता दें जहां आयोग का कार्यालय स्थित है)</p>
5.	<p>30 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद प्राप्त होने पर आयोग द्वारा किसी आपत्तियों या सुझावों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा</p>

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता का
नाम एवं पदनाम

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2020

No. L-1/253/2019/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement

- These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2020.
- These regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions and Interpretation

- In these regulations, unless the context or subject-matter, otherwise requires-
 - ‘Act’ means the Electricity Act, 2003, (36 of 2003);
 - ‘Applicant’ means a person who has made an application to the Commission for grant of trading licence in accordance with these Regulations;
 - ‘Associate’ in relation to an Applicant or the Trading Licensee, as the case may be, means associate company or related party as defined in sub-sections (6) and (76) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) respectively;

- (d) **‘Back to Back contracts’** shall mean the contracts for inter-State transactions in electricity in which a Trading Licensee buys a specific quantity of power for a particular duration from one party and simultaneously sells it to another party on similar terms and conditions, and shall include the contracts, wherein the parties specifically agree that the contracts are back to back contracts;
- (e) **‘Banking of electricity’** shall mean and include transactions for inter-State exchange of electricity between two grid connected entities either directly or through a Trading Licensee;
- (f) **‘Commission’** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Act;
- (g) **‘Conduct of Business Regulations’** means the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, as amended from time to time or any statutory re-enactment thereof;
- (h) **‘Cross Border Trade of Electricity’** means trading of electricity as defined in Central Electricity Regulatory Commission (Cross Border Trade of Electricity) Regulations, 2019, as amended from time to time or any statutory re-enactment thereof;
- (i) **‘Current Ratio’** means the ratio between current assets and current liabilities, where
- i. current assets include cash or cash equivalent of money, accounts receivables, inventory, current investments excluding investment made in Associates and pre-paid expenses, and
 - ii. current liabilities include sundry creditors, provisions and other liabilities to be discharged within a period of one year;
- (j) **‘Economic offence’** means an offence under any of the statutes listed in the Schedule to the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974 (12 of 1974);
- (k) **‘Existing Licensee’** means a Trading Licensee who has been granted licence under the provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2004 and Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time and is holding licence as on the date of commencement of these regulations;
- (l) **‘Fraud’** has the same meaning as is assigned to it under Section 17 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872) or under Section 447 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (m) **‘Grid Code’** means the Grid Code Regulations specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act, as amended from time to time or any statutory re-enactment thereof;
- (n) **‘Inter-State Trading’** means purchase of electricity from one State for re-sale in another State;
- (o) **‘Intra-State Trading’** means purchase of electricity for re-sale within the territory of the same State;
- (p) **‘Liquidity Ratio’** means the ratio between liquid assets and current liabilities, where
- i. liquid assets include current assets less inventory less prepaid expenses, and
 - ii. current liabilities include sundry creditors, provisions and other liabilities to be discharged within a period of one year;
- (q) **‘Net Worth’** means aggregate value of the paid up equity share capital and compulsorily convertible preference shares and free reserves (excluding reserves created out of revaluation and write back of depreciation) reduced by the aggregate value of accumulated losses, deferred expenditure (including miscellaneous expenses) not written off and loans and advances to and investments made in Associates;
- (r) **‘Other Business’** means any business of the Trading Licensee other than the business of inter-State trading in electricity;

- (s) **‘Power Market Regulations’** means Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010 as amended from time to time or any statutory re-enactment thereof;
- (t) **‘Promoter’** with reference to a company means a promoter as defined in Section 2(69) of the Companies Act, 2013;
- (u) **‘Trading’** shall have the meaning as defined in Section 2(71) of the Electricity Act, 2003;
- (v) **‘Trading Licensee’** means a person who has been granted licence for inter-State trading of electricity under Section 14 of the Act:
- Provided that if any Trading Licensee undertakes intra-State trading based on the licence for inter-State trading granted by the Commission, the Trading Licensee shall be regulated under these regulations for the purposes as specified which shall be in addition to and not in derogation of any regulations on intra-State trading specified by the concerned State Commission;
- (w) **‘Year’** means a period of twelve months commencing on 1st April of a calendar year and ending on 31st March of the following calendar year.
- (2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act or the Grid Code shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the Grid Code.
- (3) The provisions of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as amended from time to time shall apply for the interpretation of these regulations as they apply for the interpretation of an Act of Parliament.

CHAPTER-II

QUALIFICATIONS FOR GRANT OF LICENCE

3. Qualifications of Applicant

(1) General Qualifications

The Applicant shall be a citizen of India or a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) or a Limited Liability Partnership registered under Limited Liability Partnership Act, 2008 or a company incorporated under the Companies Act, 2013 or an association or body of individuals who are citizens of India whether incorporated or not or an artificial juridical person recognised under the Indian Laws:

Provided that the Applicant should have been authorized to undertake trading in electricity in accordance with its Main Objects in the Memorandum of Association (in case of a company incorporated under the Companies Act, 1956 or 2013) or the Partnership Deed (in case of a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932) or the statutory documents of Limited Liability Partnership under Limited Liability Partnership Act, 2008.

(2) Technical Qualifications

The Applicant shall have at least one full-time professional having qualifications and experience in each of the following disciplines namely:-

S. No.	Discipline	Qualifications and Experience
(a)	System Operation or Power Trading or Energy Risk Management	Degree in Engineering with at least 5 years of experience in the field
(b)	Finance, commerce and accounts	CA/ ICWA/ MBA (Finance) with at least 5 years of experience in the field

(3) Financial Qualifications - Capital Adequacy and Liquidity Requirements

- (a) Considering the volume of inter-State and intra-State trading proposed to be undertaken by the Applicant on the basis of the inter-State trading licence, the minimum Net Worth of the Applicant on the date of application, as per audited special balance sheet accompanying the application, shall not be less than the amount specified hereunder:

S. No.	Category of the trading licence	Minimum Net Worth (Rs. in Crore)	Volume of electricity proposed to be traded in a financial year
1.	Category I	50.00	Above 7,000 MUs
2.	Category II	35.00	Not more than 7,000 MUs
3.	Category III	20.00	Not more than 4,000 MUs
4.	Category IV	10.00	Not more than 2,000 MUs
5.	Category V	2.00	Not more than 500 MUs

Provided that for Category I Trading Licensee, if the annual volume of electricity proposed to be traded exceeds 10,000 MUs, the Trading Licensee shall have a minimum net worth of Rs. 75 Crores:

Provided further that volume of electricity traded shall include inter-State and intra-State transactions under long term and short term contracts, including transactions undertaken through power exchanges, banking and Cross Border Trade.

- (b) The Applicant shall have Net Worth as per clause (a) above and have a minimum Current Ratio of 1:1 and a minimum Liquidity Ratio of 1:1:

Provided that the Net Worth, Current Ratio and Liquidity Ratio specified in this regulation shall be computed on the basis of the audited special balance sheet prepared in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013.

4. Disqualifications: The Applicant shall not be qualified for grant of licence if:

- (1) The Applicant, or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors is an undischarged insolvent; or
- (2) The Applicant holds a licence for transmission of electricity; or
- (3) The Applicant or any of his Associates or partners or promoters or Directors has been convicted of an offence involving moral turpitude, fraud, or any economic offence during any of the three Years immediately preceding the Year in which application is being made; or
- (4) The licence of the Applicant or any of his Associates or partners or promoters or Directors has been revoked by the Commission for the reasons mentioned in sub-section (1) of Section 19 of the Act during any of the three Years immediately preceding the Year in which application is being made; or
- (5) The Applicant or any of his Associates or partners or promoters or Directors has in the past been found guilty in any proceedings for non-compliance of any of the provisions of the Act or the Rules or the Regulations made thereunder or an order made by the Commission during any of the three Years immediately preceding the Year in which application is being made:

Provided that on the date of application or thereafter, if any proceeding for non-compliance of any provision of the Act, or the Rules or the Regulations framed thereunder or for non-compliance of the order of the Commission is initiated against the Applicant, the application shall be considered after the final disposal of the proceedings:

Provided further that where the Applicant is found guilty of non-compliance in the proceeding, its application shall be dealt with in accordance with this clause.

CHAPTER-III**PROCEDURE FOR GRANT OF LICENCE****5. Proceedings before the Commission**

All proceedings under these regulations shall be governed by the Conduct of Business Regulations.

6. Procedure for grant of licence

- (1) Any person desirous of undertaking inter-State trading in electricity shall make an application to the Commission for grant of licence in the manner specified in Form-I appended to these regulations and such application shall be accompanied by-
 - (a) Such application fee as prescribed by the Central Government from time to time and shall be paid as per the procedure specified in Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012, as amended from time to time or any statutory re-enactment thereof.
 - (b) Copies of the annual reports in case of the persons incorporated under the Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013 including audited accounts along with the Directors' Report, Auditors' Report, the Schedules and notes to accounts for one Year immediately preceding the Year in which the application has been made and the audited special balance sheet as on any date falling within 30 days immediately preceding the date of filing the application.
- (2) The Applicant shall post complete application along with annexures and enclosures on its website so as to facilitate access to the application by any person through internet and shall keep them on the website till the disposal of the application.
- (3) The Applicant shall within 7 days after making such application, publish a notice of its application, in two daily newspapers having circulation in each of the five regions in addition to those published from Delhi, including one economic daily newspaper in Form II, with the following particulars, namely:-
 - (a) Name of the applicant (in bold) at the top clearly bringing out whether the applicant is an individual/sole proprietor, an association or body of individuals, a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), a private limited company or a public limited company, incorporated under the Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013, a Limited Liability Partnership under Limited Liability Partnership Act, 2008 giving full particulars of its registered office and address for correspondence;
 - (b) A statement that the applicant has made an application for grant of licence for Category I or Category II or Category III or Category IV or Category V, as the case may be, under sub-section (1) of Section 15 of the Act, to the Central Electricity Regulatory Commission;
 - (c) Share Capital in Rs. Lakhs
 - i. Authorised:
 - ii. Issued:
 - iii. Subscribed:
 - iv. Paid-up:
 - (d) Shareholding pattern (List of shareholders holding 5% or more shares, number of shares held by each of them and percentage of shares of the total paid-up capital) of the Applicant;
 - (e) Financial and technical strength of the Applicant;
 - (f) Volume of electricity intended to be traded during a Year;
 - (g) Management profile of the Applicant including details of past experience of the Applicant or the persons on its management in same or similar activity;
 - (h) Geographical areas within which the Applicant intends to undertake trading in electricity;

- (i) Net Worth, Current Ratio and Liquidity Ratio of the Applicant as on the date of the audited special balance sheet accompanying the application;
 - (j) A statement as to whether the Applicant or any of his Associates or partners or promoters or Directors has been declared insolvent, and if so, the details thereof and whether or not they have been discharged;
 - (k) Details of cases resulting in conviction of an offence involving moral turpitude, fraud or economic offence of the Applicant or any of its Associates or partners or promoters or Directors during the Year of making the application or three Years immediately preceding that Year and the date of release of the above person from imprisonment, if any, consequent to such conviction;
 - (l) A statement as to whether the Applicant or any of his Associates or partners or promoters or Directors was ever refused licence, and if so, the particulars of the application, date of making the application, date of order refusing licence and reasons for such refusal;
 - (m) A statement whether the Applicant is in possession of a licence for transmission of electricity, and if so, the details thereof;
 - (n) A statement whether an order cancelling the licence of the Applicant or any of his Associates or partners or promoters or Directors has been made by the Commission or any State Commission, and if so, the details thereof;
 - (o) A statement as to whether the Applicant or any of his Associates or partners or promoters or Directors has been found guilty of non-compliance of any of the provisions of the Act or the Rules or the Regulations made thereunder or an order made by the Appropriate Commission, and if so the details thereof;
 - (p) A statement to the effect that the application and other documents filed before the Commission are available with the Applicant for inspection by any person;
 - (q) Name and address and other relevant details of the person under the control of the Applicant with whom the application and other documents can be inspected by any person;
 - (r) Address of the website where the complete application along with annexures, enclosures has been posted;
 - (s) A statement that objections or suggestions, if any, be filed before the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, 3rd Floor, Chandernagore Building, 36 Janpath, New Delhi-110001 with a copy of the objections or suggestions to the Applicant, within 30 days of publication of the notice;
 - (t) A statement on affidavit in case the Applicant is in possession of any intra-State trading licence and the details of the volume of trading allowed (in Million Units) under the said licence.
- (4) The Applicant shall within 7 days from the date of publication of the notice as aforesaid submit to the Commission on affidavit the details of the notice published and shall also file the original complete page of the newspaper in which the notice has been published.
 - (5) The Applicant shall allow a period of 30 days to the public to file objections or suggestions to the notice of application published in the newspapers.
 - (6) The Applicant shall file its reply before the Commission within 30 days from the last date of receipt of objections or suggestions from the public.
 - (7) The Commission after consideration of the objections or suggestions received in response to the notice published by the Applicant and its reply may reject the application or may propose to grant licence.
 - (8) When the Commission proposes to grant licence, it shall publish a notice of its proposal in two daily newspapers, as the Commission may consider appropriate, stating the name and address of the person to whom it proposes to issue the licence and with such other details as the Commission considers appropriate, to invite further objections or suggestions to its proposal.
 - (9) On consideration of further objections or suggestions received and the reply of the Applicant thereto, if any, the Commission may grant the licence or reject the application, for reasons to

be recorded in writing if the application does not conform to the provisions of the Act or the Rules or the Regulations or provisions of any other law for the time being in force:

Provided that no application shall be rejected unless the Applicant has been given an opportunity of being heard.

- (10) As far as practicable, the licence shall be granted in accordance with Form III appended to these regulations.

CHAPTER -IV TRADING MARGIN

7. Applicability of Trading Margin:

Trading margin shall be applicable to the following transactions undertaken by the Trading Licensee:

- (a) Transactions under short term contracts (where period of the contract of the Trading Licensee with both the seller and the buyer, including transactions undertaken through power exchanges, is upto one year);
- (b) Transactions under long term contracts (where period of the contract of the Trading Licensee with either the seller or the buyer or both is more than one year);
- (c) Banking of electricity, irrespective of duration of the contract;
- (d) Transactions under Back to Back contracts, irrespective of duration of the contract;
- (e) Cross Border Trade of Electricity.

8. Trading Margin:

- (1) Trading Licensee shall comply with the trading margin as given below:

- (a) The trading margin shall be charged on the scheduled quantity of electricity;
- (b) The trading margin shall include all charges, except the charges for scheduled energy, open access and transmission losses:

Provided that the charges for open access include the transmission charge, operating charge and the application fee.

- (c) For transactions under short term contracts and contracts through power exchanges upto one year, the Trading Licensee shall charge a trading margin of not less than zero (0.0) paise/kWh and not exceeding seven (7.0) paise/kWh:

Provided that in contracts where escrow arrangement or irrevocable, unconditional and revolving letter of credit as specified in clause (10) of Regulation 9 is not provided by the Trading Licensee in favour of the seller, the Trading Licensee shall not charge trading margin exceeding two (2.0) paise/kWh.

- (d) For transactions under long term contracts, the trading margin shall be decided mutually between the Trading Licensee and the seller:

Provided that in contracts where escrow arrangement or irrevocable, unconditional and revolving letter of credit as specified in clause (10) of Regulation 9 is not provided by the Trading Licensee in favour of the seller, the Trading Licensee shall not charge trading margin exceeding two (2.0) paise/kWh.

- (e) For banking of electricity, the Trading Licensee shall charge a cumulative trading margin of not less than zero (0.0) paise/kWh and not exceeding seven (7.0) paise/kWh.
- (f) For transactions under Back to Back contracts, where escrow arrangement or irrevocable, unconditional and revolving letter of credit as specified in clause (10) of Regulation 9 is not provided by the Trading Licensee in favour of the seller, the Trading Licensee shall not charge trading margin exceeding two (2.0) paise/kWh.
- (g) For Cross Border Trade of Electricity, the trading margin shall be decided mutually between the Trading Licensee and the seller.

- (2) The trading margin specified under these regulations shall be the cumulative value of the trading margin charged by all the traders involved in the chain of transactions between the generator and the ultimate buyer, that is to say, trading margin in case of multiple trader-to-trader transactions and shall not exceed the ceiling of trading margin specified under these regulations.

CHAPTER-V

TERMS AND CONDITIONS OF THE LICENCE

9. Obligations of the Trading Licensee

The Trading Licensee shall be subject to the following obligations, namely:-

- (1) The Trading Licensee shall comply with the requirements of laws in force and, in particular, the Act, the Rules and the Regulations, Grid Code, orders and directions issued by the Commission from time to time and any of the State Electricity Regulatory Commissions in accordance with law.
- (2) The Trading Licensee shall maintain the Net Worth in accordance with Regulation 3 of these regulations at all times and shall maintain Current Ratio of 1:1 and Liquidity Ratio of 1:1 at the end of every financial year:
Provided that if the current ratio or the liquidity ratio at the end of the financial year is less than 1:1, then the Trading Licensee shall be required to maintain additional Net Worth of 100% of the Net Worth stipulated for the respective category of trading licence.
- (3) The Trading Licensee shall not exceed at any point of time 110 percent of the volume of trading authorized during a Year under the licence granted to him.
- (4) The Trading Licensee shall make an appropriate application accompanied by prescribed fees for up-gradation of its licence to a higher category or down-gradation of its licence to a lower category in order to fulfil the conditions of these regulations in accordance with the procedure specified in Regulation 15 of these regulations.
- (5) The Trading Licensee shall not charge any amount exceeding the trading margin fixed by the Commission from time to time:
Provided that where it is established on the basis of regulatory audit carried out in accordance with clause (3) of Regulation 10 of these regulations or otherwise that the Trading Licensee has charged trading margin above the ceiling specified under these regulations, the Commission may direct disgorgement of excess margin along with interest back to the seller/buyer as the case may be, at the rate as may be specified by the Commission, after giving the Trading Licensee an opportunity of being heard and in case of such violation on more than three occasions, the Commission may also revoke the licence of the Trading Licensee after giving an opportunity of being heard.
- (6) The Trading Licensee shall continue to be governed by the qualifications or disqualifications specified in Regulations 3 and 4 of these regulations throughout the period of licence.
- (7) The Trading Licensee shall establish adequate communication facilities like telephone, fax, computer, internet facilities, before undertaking trading.
- (8) The Trading Licensee may coordinate with Regional Power Committees, the Central Transmission Utility, State Transmission Utilities, the National Load Despatch Centre, the Regional Load Despatch Centres, and the State Load Despatch Centres with regard to his trading-related activities, to the extent authorized by the concerned buyer and seller.
- (9) The Trading Licensee shall render all assistance to any person authorised by the Commission to carry out his duties relating to the licence.
- (10) The Trading Licensee shall make payment of dues by the agreed due date to the seller for purchase of the agreed quantum of electricity through an escrow arrangement or irrevocable, unconditional and revolving letter of credit in favour of the seller. Such escrow arrangement or irrevocable, unconditional and revolving letter of credit in favour of the seller shall be equivalent to:
 - (a) one point one (1.1) times the average monthly bill amount (estimated average of monthly billing amounts for three months or actual monthly billing amount for preceding three months as the case may be) with a validity of one year for long term contracts;
 - (b) one point zero five (1.05) times of contract value for short term contracts.

- (11) The Trading Licensee shall enter into an appropriate agreement for purchase and sale of electricity with the sellers and the buyers prior to scheduling a transaction, and that the agreement shall specify the following, namely-
 - (a) the boundaries, that is to say, upper and lower MW limits of electricity to be purchased or sold;
 - (b) modalities for scheduling;
 - (c) payment security mechanism as defined in clause 10 of this regulation;
 - (d) persons authorized to specify the schedule, or to modify it after it has been intimated to the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre;
 - (e) whether the buyer or the seller can unilaterally advise modification of the schedule, or whether the modification can only be advised jointly by the buyer and the seller;
 - (f) the liabilities of the parties (seller, buyer and Trading Licensee) in case the scheduled quantum (MW) and time of scheduling differs from the agreed terms, or in case of modification in schedule, and in the latter case, the party that will bear non-refundable part of short-term open access charges.
- (12) The Trading Licensee shall ensure that there is no discrepancy or scope for dispute in the scheduling advised to the Regional Load Despatch Centre and in case of any discrepancy or ambiguity in the scheduling advice, the decision of the Regional Load Despatch Centre on the acceptance or otherwise of such advice shall be binding.
- (13) The Trading Licensee shall ensure that the buyer and the seller are either grid connected entities or represent such entities with special energy meters on their periphery and that the mechanism for Deviation Settlement accounting by the appropriate authority is in place.
- (14) The Trading Licensee shall not purchase electricity from the entities and the Associates of such entities, defaulting in payment of Charge for Deviations determined as per the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, transmission charges, reactive energy charges, congestion charge and fee and charges for National Load Despatch Centre or Regional load Despatch Centre or the Unified Load Despatch and Communication Scheme or any other payment levied by the Commission or any of the State Electricity Regulatory Commissions under the provisions of the Act or any regulation made thereunder, when so advised by the Commission.
- (15) The Trading Licensee shall pay the licence fee by the stipulated date specified by the Commission from time to time.
- (16) The Trading Licensee shall not omit or neglect to undertake trading activity.
- (17) The Trading Licensee shall not enter into any agreement related to purchase or sale of electricity that may lead to abuse of his dominant position or enter into combination which causes or is likely to cause a conflict of interest or an adverse effect on competition in electricity industry.
- (18) The Trading Licensee shall maintain up to date record of all trading transactions undertaken by him, separately for Over the Counter (OTC) inter-State transactions, Over the Counter (OTC) intra-State transactions, if any, made on basis of the inter-State trading licence and transactions through the power exchange.
- (19) The Trading Licensee shall not subject to settlement of commercial terms in accordance with law, omit sale of electricity to a consumer who has been allowed open access by the concerned State Electricity Regulatory Commission.
- (20) The Trading Licensee shall immediately but not later than one month report to the Commission any change in the Net Worth which makes it ineligible to continue in the category for which the licence has been granted.
- (21) The Trading Licensee can transfer or assign its licence only to such person who fulfils the conditions of Regulations 3 and 4 of these regulations with prior approval of the Commission:
Provided that the Trading Licensee shall make an appropriate application before the Commission containing the details of the person to whom the licence is proposed to be transferred or assigned, its eligibility to hold the licence under these regulations, and an affidavit from the proposed transferee or assignee that it will abide by all the terms and

conditions of licence and comply with the provisions of the Act, Rules and Regulations made thereunder and the orders of the Commission as may be issued from time to time:

Provided further that the Trading Licensee shall be required to publish in brief in two daily newspapers having circulation in each of the five regions in addition to those published from Delhi, including one economic daily newspaper about its application for transfer or assignment of its licence and invite suggestions or objections within 30 days and submit the copies of the publication along with its response to the suggestions or objections, if any, within 45 days from the date of publication.

- (22) The Trading Licensee shall designate one of its officers as Compliance Officer who shall be the nodal officer for communication with the Commission and shall be responsible for compliance with the provisions of the Act and Rules and Regulations specified by the Commission, particularly Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence, and other related matters) Regulations, 2020, Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009, Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012, Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010, Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 and Central Electricity Regulatory Commission (Cross Border Trade of Electricity) Regulations, 2019 as amended from time to time or any subsequent re-enactment thereof;
- (23) In the event Trading Licensee has entered into a contract for sale of power with a buying entity for a particular period, then the Trading Licensee shall not enter into any contract for sale of the same power with any other entity for such period except with the prior consent of the buying entity.
- (24) Trading Licensee undertaking banking of electricity shall simultaneously enter into contract for supply of power and contract for return of power, with each of the utilities participating in the banking arrangement, as applicable.

10. Accounts of the Trading Licensee and Regulatory Audit

- (1) The Trading Licensee shall-
- (a) keep the accounts of the business covered by the licence separate from any other business, whether licensed or otherwise;
 - (b) maintain the statement of accounts in accordance with the Companies Act, 2013, as amended from time to time;
 - (c) prepare on a consistent basis from such records, accounting statements for each Year comprising a Profit and Loss Account, a Balance Sheet and a statement of source and application of funds together with notes thereto and showing separately the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been either:
 - i. charged from or to any other business together with a description of the basis of that charge; or
 - ii. determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description of the basis of the apportionment or allocation;
 - (d) provide in respect of the accounting statements prepared in accordance with foregoing clauses, a report by the Auditors in respect of each Year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true and fair view of the revenue, costs, assets, and liabilities, reserves reasonably attributable to the business to which the statements relate; and
 - (e) submit to the Commission copies of the audited annual financial statement and Auditor's report not later than nine months after the close of the Year to which they relate and shall keep them posted on its website or any other authorized website for a period of at least two Years thereafter.
- (2) Any person authorised by the Commission shall be entitled to inspect and verify the accounts

of the Trading Licensee and the Trading Licensee shall render all necessary assistance to such person.

- (3) The Commission may, on being satisfied that the Trading licensee has failed to comply with the terms and conditions of the Licence, appoint auditors and/or experts to carry out regulatory audit to verify such non-compliance in accordance with Section 128 of the Act and in such cases, the cost of audit shall be paid by the Commission and recovered from the Trading Licensee.

11. Submission of Information

The Trading Licensee shall:

- (1) supply such information, as may be called for by the Commission from time to time;
- (2) furnish monthly information through Forms IV-A, IV-B, IV-C, IV-D, IV-E, IV-F, IV-G and IV-H in respect of inter-State trading, intra-State trading on the basis of the inter-State trading licence, trading through power exchanges, Banking of electricity, short-term, long-term trading and Cross Border Trade of Electricity, so as to reach the Commission before 15th of the succeeding month:

Provided that the information sent to the Commission, shall be posted on the website of the Trading Licensee by 15th of the succeeding month, and such report shall be available on the website for not less than five Years;

- (3) submit monthly information regarding Over the Counter (OTC) Contracts as per Form IV-I to the Commission before 15th of the succeeding month;
- (4) submit annual return of inter-State transactions detailing:
 - (a) total volume transacted (in MUs and Rupees) and the total trading margin charged thereon,
 - (b) total volume transacted in intra-State transactions on the basis of the inter-State trading licence (in MU and Rupees),
 - (c) total volume transacted on Power Exchange and the total trading margin charged thereon,
 - (d) total volumes of Renewable Energy Certificates transacted,
 - (e) complete list of Buyers and Sellers in the above categories, certified by Chartered Accountant or Cost Accountant by 31st May every Year as per Form IV-J;
- (5) submit to the Commission copies of the Annual Reports including Directors' report, Auditors' report, Balance Sheet and Profit and Loss Account pertaining to inter-State and intra-State trading on the basis of the inter-State trading licence, segment of the business along with all the Schedules and notes to the accounts, not later than nine months after the close of the Year to which they relate and shall keep them posted on its website or in any authorized website for a period of at least five Years;
- (6) The information as required under clauses (2) to (5) of this regulation shall also be furnished by the deemed Trading Licensees as defined in Section 14 of the Act for the purpose of monitoring inter-State trading transactions;
- (7) submit any report or information, as prescribed under Power Market Regulations notified by the Commission from time to time;
- (8) report to the Commission the following events as soon as possible but not later than one month of occurrence of such event:
 - (a) when the Trading Licensee or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors has been declared insolvent;
 - (b) when the Trading Licensee, or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors has been convicted of an offence involving moral turpitude, fraud, or any economic offence;
 - (c) when the licence of any of the Associates or partners or promoters or Directors has been cancelled by the Commission;
 - (d) when the Trading Licensee, or any of his Associates or partners or promoters or

Directors has been found guilty for non-compliance of any of the provisions of the Act or the Rules or the Regulations made thereunder or any order made by the Appropriate Commission;

- (e) Where any proceeding has been initiated in any court of law against the Trading Licensee for material breach of any law or before the Appropriate Commission for contravention of the Act, the Rules and Regulations made thereunder or non-compliance with the orders and directions of the Commission or of the State Electricity Regulatory Commissions.

12. Standards of performance

- (1) The Commission may, after consultation with the Trading Licensee, wherever required, specify the standards of performance of a Trading Licensee or a class of Trading Licensees.
- (2) Till such time the standards of performance are specified under clause (1), the Trading Licensee shall furnish to the Commission the performance details for each Year in the format prescribed by the Commission in Form V, appended to these regulations by 30th April immediately following the Year ending on 31st March.
- (3) The Trading Licensee shall display on its website (i) the volume of inter-State and intra-State trading on the basis of the inter-State trading licence, if any, on monthly basis; (ii) trading licences held by it; (iii) petitions filed before the Commission and the orders including interim orders, if any, issued by the Commission to ensure dissemination of information to its clients.

13. Prudential Reporting

The Trading Licensee shall, as soon as possible but not later than one month, report to the Commission-

- (1) any significant change in the circumstances which may affect his ability to meet the obligations under the Act, the Rules and the Regulations, directives and orders issued by the Commission, the Grid Code, agreement or the licence;
- (2) any material breach of the provisions of the Act, the Rules and the Regulations, directives and orders issued by the Commission, the Grid Code, agreement or the licence; and
- (3) any major change in its shareholding pattern, ownership or management, or breach of capital adequacy norms specified in these regulations.

14. Amendment of licence

- (1) The terms and conditions of a licence granted by the Commission may be modified by the Commission in public interest or on an application made by the Trading Licensee or otherwise:

Provided that before ordering any substantive alteration or modification in a licence, proposed to be made otherwise than on the application of the Trading Licensee, the Commission shall publish a notice in two such daily newspapers as it considers necessary with the following particulars, namely:-

- (a) name and address of the Trading Licensee;
 - (b) alterations and modifications proposed to be made;
 - (c) grounds for such alterations and modifications; and
 - (d) inviting suggestions, if any, on the proposal for consideration of the Commission within the time specified in the notice.
- (2) The procedure specified in Regulation 6 shall mutatis mutandis be applicable in case the Trading Licensee makes an application for any substantive alteration of or modification to the terms and conditions of the licence:

Provided that where the Trading Licensee has made an application under sub-section (1) of Section 18 of the Act, proposing any substantive alteration and modifications in his licence, he shall publish a notice of such application in two daily newspapers having circulation in all the five regions, in addition to those published from Delhi, including one economic newspaper, in Form VI, with the following particulars, namely: -

- (a) name of the applicant;
- (b) category of the licence granted to him;

- (c) that an application for alteration and modifications has been made before the Commission;
- (d) details of alteration and modifications proposed in the application;
- (e) reasons for seeking such alterations and modifications;
- (f) a statement that the application made before the Commission has been posted on the website and can also be inspected in the office of the applicant;
- (g) a statement that any suggestion to the proposal for alteration and modifications made in the application may be submitted to the Secretary of the Commission within 30 days of publication of the notice:

Provided that the Trading Licensee making application for upgradation of its licence to a higher category or downgradation of its licence to a lower category shall follow the procedure specified in Regulation 15.

15. Procedure for upgradation of licence or downgradation of licence or compliance of Net Worth criteria for Category I Trading Licensee

(1) Upgradation of licence:

- (a) The Trading Licensee may at any time during a particular year apply for a higher category licence on the basis of the volume proposed to be traded in a particular Year.
- (b) The Trading Licensee shall file an application before the Commission for upgradation of its licence to a higher category as soon as he expects the trading volume to exceed the trading volume limit specified for the Trading Licensee's existing category.
- (c) The Trading Licensee shall be granted an opportunity of being heard by the Commission before taking a decision on the application.
- (d) The Trading Licensee shall be required to submit the audited special balance sheet to support the compliance of Net Worth requirement for higher category licence.
- (e) The Trading Licensee shall pay licence fee applicable to the higher category licence if in a particular Year the licence has been upgraded:

Provided that in case a Trading Licensee has already paid licence fee applicable for its existing lower category licence in a particular year, then the Trading Licensee shall have to make payment equivalent to difference of fee applicable for higher category licence and fee already paid for existing licence category.

(2) Compliance of Net Worth criteria for Category I Trading Licensee:

- (a) In the event that a Category I Trading Licensee expects its trading volume to exceed beyond the trading limits specified in Regulation 3 for a particular Year, then the Category I Trading Licensee shall be required to increase its Net worth commensurate to the expected volume prior to transacting such volumes.
- (b) The Trading Licensee shall be required to submit the audited special balance sheet to support the compliance of Net Worth requirement.

(3) Downgradation of licence:

- (a) The Trading Licensee may file an application to the Commission for downgradation of its licence to a lower category at any time:

Provided that the Trading Licensee shall not be allowed to apply for upgradation of licence within the same Year.

- (b) The Trading Licensee shall be required to upload the audited special balance sheet to support the compliance of Net Worth requirement for lower category licence.
- (c) While applying for downgradation of licence, the Trading Licensee shall be required to pay the licence fee applicable for the category of licence for which the application is being submitted.

16. Procedure for securing compliance of terms and conditions of licence:

- (1) Where the Commission on the basis of material in its possession is satisfied that the Trading Licensee is contravening the terms and conditions of licence, it shall serve a notice to the Trading Licensee narrating the terms and conditions of licence contravened by him to invite his objections or suggestions.
- (2) The notice may be served on him by delivering the same at the registered office or at the usual or his last known place of residence or business, either through registered post or speed post or by hand delivery through a messenger or publication in a newspaper or on the website of the Commission where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notice on the Trading Licensee through registered post or speed post or by hand delivery or by electronic mail.
- (3) The Commission shall publish a notice in two newspapers specifying the terms and conditions contravened or likely to be contravened by the Trading Licensee to bring the matters to the attention of persons affected or likely to be affected by such contraventions, to invite suggestions from such persons.
- (4) The Trading Licensee or the persons affected or likely to be affected by the contravention of the terms and conditions of the licence by the Trading Licensee may file their objections or suggestions within 30 days from the date of receipt of notice under clause (1) or on publication of notice in the newspapers under clause (3), as the case may be.
- (5) The Commission shall on consideration of the objections and suggestions received as aforesaid pass such order or give such directions as maybe necessary to secure compliance of the terms and conditions of licence.

CHAPTER-VI**CONTRAVENTION AND PENALTIES****17. Contravention by Trading Licensee**

Contraventions of the provisions of the Act, Rules and Regulations framed thereunder and non-compliance of the orders of the Commission by a Trading Licensee shall cover the following:

- (1) Violations and non-compliance of the provisions of the Act, Rules and the Regulations specified under Regulation 9(22) of these Regulations;
- (2) Under-reporting of transaction volume in monthly reporting;
- (3) Failure to meet the Net Worth criteria specified in these regulations;
- (4) Charging trading margins beyond the limits defined in these regulations;
- (5) Non-compliance of the orders of the Commission including the orders issued for contravention of any regulation of the Commission;
- (6) Non-payment of the licence fees and surcharge, if applicable within the due date as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012 or statutory re-enactment thereof;
- (7) Delay or non-submission of monthly transaction information sought under clause (2) of Regulation 11;
- (8) Failure to comply with Regulation 15 of these regulations;
- (9) Failure to comply with clause (23) of Regulation 9 specified in these regulations;
- (10) Non-submission or delay in submission of any report required to be submitted by the Trading Licensee under any of the regulations mentioned in clause (1) of this regulation;
- (11) Delay in submission of any other information sought by the Commission;
- (12) Failure to make mandatory disclosures or reporting in accordance with the provision to clause (2) of Regulation 11 of these regulations on Trading Licensee's website.

18. Procedure for taking cognizance of the contraventions

- (1) The Commission, on being satisfied on the basis of the information in its possession or on the basis of the information submitted by any person that a prima facie case exists against any Trading Licensee with respect to any of the provisions of Regulation 17, may initiate suo-

motu proceedings against the Trading Licensee and may direct the Trading Licensee to submit such information and explanation as may be considered necessary for the purpose of the proceeding:

Provided that the proceedings for non-payment of fee shall be initiated if the Trading Licensee fails to deposit the fees and surcharge, if any, within seven days of the expiry of due date of payment as per the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2012:

Provided further that the licence shall be deemed to be suspended after expiry of fifteen days from the due date of payment and shall remain suspended till the payment of fees and surcharge, if any, is made or suspension is withdrawn.

- (2) No penalty shall be imposed on the Trading Licensee without giving it an opportunity of being heard.
- (3) The penalties, if any, shall be imposed in accordance with Regulation 19 of these regulations.

19. Penalties for Contravention and non-compliance

Where the charge of contraventions is established against the Trading Licensee, the Commission may:

- (1) give warning to the Trading Licensee subject to such conditions as may be deemed fit in the facts and circumstances of the case; or
- (2) direct that the Trading Licensee shall pay, by way of penalty, a sum which shall not exceed rupees one lakh for each contravention and in case of a continuing failure with an additional penalty which may extend to six thousand rupees for every day during which the failure continues after contravention of the first such direction; and/or
- (3) debar the Trading Licensee from trading in short term market or long term market or through power exchanges or banking or Cross Border Trade of Electricity for a period as may be specified by the Commission; or
- (4) suspend the licence for a period as may be specified by the Commission; or
- (5) revoke the licence of the Trading Licensee; or
- (6) issue such other directions or impose such other conditions as the Commission may deem appropriate;

Provided that in case of debarment or suspension, National Load Despatch Centre or concerned Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre, as the case may be, shall take appropriate action with regard to scheduling and despatch of electricity in respect of the transactions of the Trading Licensee.

CHAPTER-VII

REVOCAION OF LICENCE

20. Revocation of licence

- (1) The Commission may revoke the licence in exercise of power in accordance with Section 19 of the Act in any of the following circumstances, namely :-
 - (a) Where the Trading Licensee in the opinion of the Commission, makes wilful and prolonged default in doing anything required of him by or under the Act, or the Rules or the Regulations;
 - (b) Where the Trading Licensee breaches any of the terms and conditions of his licence, the breach of which is expressly declared by such licence to render it liable to revocation;
 - (c) Where the Trading Licensee fails, within the period fixed in this behalf by his licence, or any longer period which the Commission may allow therefore, to show to the satisfaction of the Commission, that he is in a position fully and efficiently to discharge the duties and obligations imposed on him by his licence;
 - (d) Where in the opinion of the Commission the financial position of the Trading Licensee is such that he is unable to fully and efficiently discharge the duties and obligations imposed on him by his licence;
 - (e) Where the Trading Licensee has neglected to undertake trading in electricity;

- (f) Where the Trading Licensee fails to meet the qualifications specified for making an application in accordance with Regulation 3 or incurs any of the disqualifications under these regulations;
 - (g) Where the Trading Licensee fails to submit the information as required in accordance with the regulations 11, 12 and 13 or knowingly furnishes false and wrong information;
 - (h) Where the Trading Licensee has failed to pay the fees by the due date as per the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2012 or other charges required by its licence or any penalty imposed by the Commission;
 - (i) Where the Trading Licensee breaches the limits defined for charging the Trading Margin for any type of contracts;
 - (j) Where the Trading Licensee fails to maintain the Net Worth specified in Regulation 3.
- (2) If the Commission, after making an enquiry, is satisfied that any of the grounds for revocation as mentioned in clause (1) exists and public interest so requires, the Commission may revoke the licence subject to such terms and conditions as may be deemed appropriate:

Provided that the Commission has given a notice of not less than three months to the Trading Licensee stating the grounds on which it is proposed to revoke the licence and has considered the cause shown by the Trading Licensee within the period of notice against the proposed revocation:

Provided further that the Commission may, instead of revoking the licence, permit the licence to remain in force subject to such further terms and conditions as the Commission may consider appropriate to impose, and any further terms and conditions so imposed shall be deemed to be terms and conditions of the licence and shall be binding on the Trading Licensee.

- (3) Where the Trading Licensee makes an application for revocation of licence, the application shall contain the following information and documents:
- (a) reasons for seeking revocation;
 - (b) an affidavit to the effect that the Trading Licensee has deposited the licence fee for the Year in which revocation is sought; that there are no undischarged liabilities against the Trading Licensee; and that there are no operative contracts for trading of electricity to which the applicant is a party at the time of filing the said application;
 - (c) an affidavit to the effect that the applicant has posted the complete application on its website and shall keep the application uploaded on its website till its disposal by the Commission;
 - (d) documents showing that the Trading Licensee has published the notice about its application for revocation in two daily newspapers having circulation in each of the five regions in addition to those published from Delhi including one economic newspaper;
- (4) Where the Commission, after considering the application made in accordance with clause (3), is satisfied that public interest so requires, the Commission shall revoke the licence, as to the whole or any part of the area of trading upon such terms and conditions as the Commission may consider appropriate;
- (5) Where the licence is revoked under clauses (2) and (4) of this regulation, the Commission shall serve a notice of revocation on the Trading Licensee and fix a date from which revocation shall take effect.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

21. Additional provisions in respect of Existing Licensees

- (1) The Existing Licensees shall meet the Net Worth, Current Ratio and Liquidity Ratio criteria specified in clause (2) of Regulation 9 and submit an audited special balance sheet within a period of six months from the date of commencement of these regulations to support the compliance of Net Worth requirement:

Provided that in case the Existing Licensee fails to comply with the above, the Existing Licensee shall submit an application for category change within six months from the date of commencement of these regulations.

- (2) The Existing Licensees shall charge trading margin in accordance with Regulation 8.
- (3) The Existing Licensees shall pay the licence fee as may be specified by the Commission from time to time:

Provided that the licence fee when revised, shall be payable by the Existing Licensees on pro rata basis from the date of such revision till the end of the Year.

22. Communication

- (1) Unless otherwise specified in these regulations, all communications relating to the trading licence shall be in writing and shall be delivered either in person to the addressee or his authorized agent, or sent by registered or speed post at the place of business of the addressee or sent via electronic mail.
- (2) All communications shall be regarded to have been given by the sender and received by the addressee –
 - (a) when delivered in person to the addressee or to his authorised agent;
 - (b) on expiry of 15 days from the date of sending by registered or speed post at the address of the addressee.
 - (c) When sent over email when an addressee specifically opts for such mode of communication.
- (3) Wherever the Trading Licensees are required under these regulations to post the information on their website, the Trading Licensees shall be required to post such information only in text converted PDF format, and not images of the documents.

23. **Power to relax:** The Commission may in appropriate cases and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations.

24. **Repeal:** Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009 and Central Electricity Regulatory Commission (Fixation of Trading Margin) Regulations, 2010 and all subsequent amendments thereof shall stand repealed from the date of commencement of these regulations.

GEETU JOSHI, Chief (Economics)

[ADVT.-III/4/Exty./430/19]

FORM-I

Application form for grant of Licence for Inter-State Trading

1. Name of the applicant:
2. Address:
 - (a) Registered office address:
 - (b) Address for correspondence:
 - (c) Website address:
3. Name, Designation and Address of the contact person:
4. Contact Tel. Nos.:
5. Fax No.:
6. E-mail ID:
7. Status of the applicant:

(Whether a citizen of India or a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) or a company incorporated under the Companies Act, 1956 or 2013 or an association or a body of Individuals who are citizens of India whether incorporated or not or an artificial juridical person

recognized under the Indian Laws or a Limited Liability Partnerships under Limited Liability Partnership Act, 2008. If a listed company, name of Stock Exchanges on which listed and latest share price to be given)

8. Place of Incorporation/Registration:
9. Year of Incorporation/Registration:
10. Clause of the Memorandum of Association which authorizes undertaking inter-State trading in electricity (Extract the relevant portion).
11. Whether the Memorandum of Association authorizes undertaking transmission of electricity. If so, the extract of the relevant portion.
12. (a) Authorised share capital
(b) Issued share capital
(c) Subscribed share capital
(d) Paid up share capital

Note: Copies of the following documents shall be enclosed

- (a) Certificate of incorporation/registration
- (b) Certificate for commencement of business, where applicable
- (c) Memorandum of Association and Articles of Association
- (d) Original power of attorney in favour of the signatory to commit the Applicant
13. Category of licence applied for
14. Volume of power intended to be traded
15. Area of Trading:
State the geographical areas within which the applicant proposes to undertake inter-State trading in electricity
16. (i) Net worth as per the last year's audited accounts prior to the date of application (if applicable).
(ii) Net worth on the date of preparation of the special balance sheet accompanying the application.
17. (i) Current Ratio as per the last year's audited accounts prior to the date of application (if applicable).
(ii) Current ratio on the date of preparation of the special balance sheet accompanying the application.
18. (i) Liquidity Ratio as per the last year's audited accounts prior to the date of application (if applicable).
(ii) Liquidity ratio on the date of preparation of the special balance sheet accompanying the application.
19. Details of shareholding as on the date of making application
(Give details of each of the shareholders holding 5% and above of the shares of the applicant directly or with relatives)
 - (a) Name of the shareholder
 - (b) Citizenship
 - (c) Residential status
 - (d) No. of shares held
 - (e) Percentage holding of total paid up capital of the company

20. (i) Annual turnover as per the audited accounts for the past one year prior to the date of application (if applicable).
- (ii) Turnover on the date of preparation of the special balance sheet accompanying the application.
21. Organizational and Managerial capability of the applicant: The applicant is required to enclose proof of his Organizational and Managerial capability, in terms of these regulations, in form of his organizational structure and curricula vitae of various executives, proposed office and communication facilities, etc.
22. Approach and Methodology: The Applicant is required to describe approach and methodology for establishment of the trading arrangements as proposed by him.
23. Other Information
- (a) Whether the Applicant or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors has been declared insolvent? If so, the details thereof and whether they have been discharged or not;
- (b) Details of cases resulting in conviction for moral turpitude, fraud of economic offences of the Applicant, any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors during the year of making the application and three years immediately preceding the year of making application and the date of release of the above person from imprisonment, if any, consequent to such conviction;
- (c) Whether the Applicant or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors was ever refused licence. If so, give the details of date of making application, date of refusal and reasons for refusal;
- (d) Whether the applicant holds a transmission licence. If so, give details thereof;
- (e) Whether an order cancelling the licence of the Applicant or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors was ever passed by the Commission;
- (f) Whether the Applicant or any of his Associates, or partners, or promoter, or Directors was ever found guilty of contravention of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made there under or an order made by the Appropriate Commission, in any proceedings. If so, give the details thereof.
24. List of documents enclosed: Name of the document
- (a) _____
- (b) _____
- (c) _____
- (d) _____

Place:

(Signature of the Applicant or the Authorized Person)

Date:

FORM-II

Name of the Applicant (in Bold letters)

Registered Office/Corporate Office Address (in Bold letters)

Notice under sub-section (2) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 (in Bold letters)

1.	<p>The person above-named, a company incorporated under the Companies Act, 1956 or 2013/a partnership firm or Limited Liability Partnership or sole proprietorship firm/an individual/an association or body of individuals/an artificial juridical person (strike out whichever is not applicable) (the applicant) has made an application under sub-section (1) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 for grant of Category ____ licence for inter State trading in electricity in _____ (indicate the geographical area within which the applicant proposes to undertake trading) before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi. The necessary details in respect of the applicant are given hereunder:</p> <p>i) Authorized, issued, subscribed and paid up capital.</p> <p>ii) Shareholding pattern (indicate the details of the shareholders holding 5% or more shares)</p>
----	--

	<u>Name of the shareholder</u> <u>Citizenship</u> <u>Residential Status</u> <u>No. of shares</u> <u>% of share of the total paid up capital</u>
iii)	Financial and technical strength.
iv)	Management profile of the applicant including details of past experience of the applicant and/or the persons on the management of the applicant in generation, transmission, distribution and trading of electricity or similar activity.
v)	Volume of electricity intended to be traded during the first year after grant of licence and future plans of the applicant to expand volume of trading.
vi)	Geographical areas within which the applicant will undertake trading in electricity;
vii)	Net worth as on 31st March of three consecutive years immediately preceding the year of application or for such lesser period as may be applicable and on the date of the special balance sheet accompanying the application;
viii)	Year-wise current ratio and liquidity ratio of the applicant for three years preceding the year in which the application is made, or for such lesser period as may be applicable and on the date of the special balance sheet accompanying the application;
ix)	(a) A statement whether the applicant is authorized to undertake trading in electricity under the Memorandum of Association or any other document. (b) If so, reproduce the specific provision of Memorandum of Association or any other document so authorizing trading in electricity.
x)	Details of cases, if any, where the applicant or any of his associates, or partner, or promoters, or Directors has been declared insolvent and has not been discharged.
xi)	Details of cases, if any, in which the Applicant or any of his Associates or partners or promoters or Directors has been convicted of an offence involving moral turpitude, fraud or any economic offence during the previous three years preceding the year of making the application and the year of making the applicant and the date of release of the above person from imprisonment, if any, consequent to such conviction.
	<u>Name of the person</u> <u>Relationship with the Applicant</u> <u>Nature of offence</u> <u>Date of conviction</u>
xii)	Whether the Applicant or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors was ever refused licence, and if so, the detailed particular of the application, date of making application, date of order refusing licence and reasons for such refusal.
xiii)	Whether the Applicant has been granted a licence for transmission of electricity.
xiv)	Whether an order cancelling the licence of the Applicant, or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors has been passed by the Commission.
xv)	Whether the Applicant or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors was ever found guilty in any proceedings for contravention non-compliance of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder or an order made by the Appropriate Commission, during the year of making the application or five years immediately preceding that year?
2.	The application made and other documents filed before the Commission are available for inspection by any person with (Give here name, designation, address and telephone number of the person with whom the application can be inspected).
3.	The application made and other documents filed before the Commission have been posted on _____ (Give address of the website on which the application is posted).
4.	Objections or suggestions, if any, on the application made before the Commission may be sent to the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission (Give the address where office of the Commission is situated) within 30 days of publication of this notice, with a copy to the applicant.
5.	No objections or suggestions shall be considered by the Commission if received after expiry of 30 days of publication of this notice.

Place:

Name and Designation of

Date:

the Authorised Signatory

3																			
C	Cross Border Transactions																		
1																			
2																			
3																			

***RTC= Round The Clock (24 Hours i.e. from 00:00 to 24:00)**

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator/ captive power plant, distribution licensee, Government, industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

Form IV-B

Short-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees (Peak*)

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date):

Month:

Sr.No	Period of Power Delivery		Time of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from			Sold to			Purchase Price (₹/Kwh)	Sale Price (₹/kwh)	Trading Margin (₹/kwh)
	Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Start Time (HH:MM)	End Time (HH:MM)		Name of the Seller	Category	State	Name of the Buyer	Category	State			
A	Inter State Trading Transactions													
1														
2														
3														
B	Inter State Trading Transactions through Banking arrangement													
1														
2														
3														
C	Cross Border Transactions													
1														
2														
3														

***Peak= Peak Period (Evening Peak from 17 :00hrs to 23 :00hrs). Peak period may be revised by the Commission form time to time**

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

Form IV-C

Short-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees (Other than Peak & RTC)

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date):

Month:

Sr.No	Period of Power Delivery		Time of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from			Sold to			Purchase Price (₹/Kwh)	Sale Price (₹/kwh)	Trading Margin (₹/kwh)
	Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Start Time (HH:MM)	End Time (HH:MM)		Name of the Seller	Category	State	Name of the Buyer	Category	State			
A	Inter State Trading Transactions													
1														
2														
3														
B	Inter State Trading Transactions through Banking arrangement													

1																				
2																				
3																				
C	Cross Border Transactions																			
1																				
2																				
3																				

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

Form IV-D

Long-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date):

Month:

Sr. No	Period of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from			Sold to			Sale Price (₹/kwh)	Trading Margin (₹/kwh)
	Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)		Name of the Seller	Category	State	Name of the Buyer	Category	State		
A	Inter State Trading Transactions										
1											
2											
3											
B	Inter State Trading Transactions through Banking arrangement										
1											
2											
3											
C	Cross Border Transactions										
1											
2											
3											

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the Website of the electricity trader with link on the home page as statutory information

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail and through Saudamini portal (E-monitoring)

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

Form IV-E

Intra-State Transactions of Electricity by Trading Licensees

Name of Trading Licensee:

Month:

Sr.No.	Total Transacted Volume (Mus)	State
Short Term transactions		
1		
2		
3		
4		
Long Term Transactions		
1		
2		
3		
4		

Note: (1) Total Transacted Volume shall be aggregated for all transactions within each state.

Note: (2) Name of the parties and the price of these transactions are not required.

Form IV-F

Day Ahead Power Exchange Transactions by Trading Licensees

Name of Trading Licensee:

Month:

Sr.No	Date of Delivery (DD/MM/YYYY)	Total Schedule Volume (MUs) for each client	Purchased from		Sold to	
			Name of Seller/ Name of PX	State	Name of Buyer/ Name of PX	State
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Note: Trading Margin shall be charged for each 15 minutes contract separately. However, the reporting shall be made on day-wise basis in light of the large volume of data

Form IV-F Margin:

Margin charged by trading licensees in Day Ahead Power Exchange transactions

Sr.No	Name of the Client	IEX	PXIL
		Margin charged (₹/kWh)	Margin charged (₹/kWh)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Form IV-G

Term Ahead Power Exchange Transactions of Electricity by Trading Licensees

Name of Trading Licensee:

Month:

Sr. No	Name of Power Exchange	Period of Power Delivery		Time of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from		Sold to		Transaction Price (₹/kWh)	Trading Margin (₹/kWh)
		Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Start Time (HH:MM)	End Time (HH:MM)		Name of Seller	State	Name of Buyer	State		
A	Intra-Day Contracts											
1												
2												
3												
B	Day-Ahead Contingency Contracts											
1												
2												
3												
C	Daily Contracts / Any Day contracts											
1												
2												
3												
D	Weekly Contracts											
1												
2												
3												

Note: Any other Contract on the Power Exchange should be included as and when it introduced.

Form IV-H

Renewable Energy Certificates (REC) Trading on Power Exchange by Trading Licensees

Name of the Trading Licensee:

Month:

Sr. No.	Name of REC Client	Client Type (Renewable generator/ Obligated Entities)	Name of Power Exchange	Volume (RECs)	Market Clearing Price (₹/REC)
Non Solar RECs					
1					
2					
3					
4					
Solar RECs					
1					
2					
3					
4					

Note: 1 REC = 1 MWh

Form IV-I

Details of Over the Counter (OTC) Contracts Executed by Electricity Traders in Inter-State Market

Name of the Trading Licensee:

Month:

Sr. No.	Contract Date	Purchase Price	Sale Price	Contracted Quantity	Period of Contract		Purchased from		Sold To	
	(dd/mm/yyyy)	(Rs/kWh)	(Rs/kWh)	(MU)	Power Schedule Start Date (dd/mm/yyyy)	Power Schedule End Date (dd/mm/yyyy)	Name	State	Name	State
A	ROUND THE CLOCK									
1										
2										
B	PEAK									
1										
2										
C	OTHER THAN RTC & PEAK									
1										
2										

Note: (1) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission.

FORM IV-J

Annual Return of Bilateral and Power Exchange Transactions by Trading Licensee

Name of the Trading Licensee :
Licence Details (No. and Date) :
Financial Year :

1	Inter-State Bilateral Transactions		
	Total Annual Volume Transacted (in MUs)	Total Annual Volume Transacted (in ₹)	Total Annual Trading Margin Charged (in ₹)

2	Power Exchange Transactions		
	Total Annual Volume Transacted (in MUs)	Total Annual Volume Transacted (in ₹)	Total Annual Trading Margin Charged (in ₹)

3	Renewable Energy Certificates Trading (REC)	
	Total Annual Volume of REC Transacted (No. of REC)	Total Annual Volume of REC Transacted (in ₹)

4	Intra-State Bilateral Transactions on the basis of Inter-State Trading Licence	
	Total Annual Volume Transacted (in MUs)	Total Annual Volume Transacted (in ₹)

Note: Volume transacted is as per Regulation 3(3)(a)

FORM-VI

Name and address of the Applicant (in Bold letters)

Notice under Clause (b) of sub-section (2) of Section 18 of the Electricity Act, 2003

1.	The person above-named, who has been granted a Category _____ licence by the Central Electricity Regulatory Commission (the Commission) for inter-State trading of _____ Million Units in a year, has made an application before the Commission under sub-section (1) of Section 18 of the Electricity Act, 2003 for alterations and modifications in the licence as given hereunder: (Give here the details of alterations and modifications in the licence given in the application)
2.	The grounds for seeking alteration and modification are that: (Give here the grounds for alterations and modifications in the licence given in the application)
3.	The application made before the Commission is posted on _____ (Give here details of website address) and can be inspected by any person with (Give here the name of the person authorized as given in the application)
4.	The objections or suggestions, if any, on the above-noted proposals for alteration and modifications in the licence, in the application made before the Commission, may be sent to the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission,(Give the address where the Office of the Commission is situated) within 30 days of publication of this notice, with a copy to the applicant.
5.	No objections or suggestions shall be considered by the Commission, if received after expiry of period of 30 days.

Place:

Name and Designation of

Date:

the Authorised Signatory